[2023] 12 एस**.** सी**.** आर **68:2023** आई**.** एन**.** एस**.** सी**. 804**

मुकदमों का विवरण

यूनियन टेरिटरी ऑफ लाद्दाख एंड ओआरएस. v.

जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन और एएनआर। (2023 की सिविल अपील संख्या 5707)

सितंबर 06,2023

[विक्रम नाथ और अहसानउद्दीन अमानुल्लाह**,** जे**.** जे**.]** हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःक्या उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के नेतृत्व में अपील को खारिज करने और एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश को बरकरार रखते हुए उन्हें प्रतिवादी नं.1 (आर 1) और इसके द्वारा स्थापित उम्मीदवारों को लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, कारगिल के तत्कालीन आगामी आम चुनावों में पहले से आवंटित आरक्षित चुनाव चिह्न (हल) पर चुनाव लड़ने की अनुमति दें।

चुनाव प्रतीक **(**आरक्षण और आवंटन**)** आदेश**, 1968-**पैराग्राफ **9,10,10 (**ए**), 12-**प्रत्यर्थी नं**.1 –** अनुचितताः

आयोजित किया गयाःआर 1 समय रहते अधिसूचना डी. टी. डी. को लागू करके संबंधित अधिकारियों के सामने था। 26.07.2023 जिसने इसे हल के प्रतीक से इनकार कर दिया-आर 1 के प्रतिनिधित्व पर बैठे अपीलकर्ताओं ने आगे बढ़कर चुनाव को अधिसूचित किया-आर 1 का हल के प्रतीक के आवंटन के लिए अनुरोध सही, वैध और न्यायपूर्ण था, क्योंकि पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य (जिसमें वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख शामिल था) में, यह एक मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी थी जिसे हल का प्रतीक आवंटित किया गया था-पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन और दो नए केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के निर्माण पर, हालांकि ईसीआई ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एक राज्य पार्टी के रूप में आर 1 को अधिसूचित नहीं किया था, यह सरल नहीं हो सकता कि आर 1 को आवंटित नहीं किया गया था।

68 69

लद्दाख का संघ क्षेत्र बनाम जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन

आर 1 को ऐसा प्रतीक प्रदान किया जा रहा है-प्रतीकों के आवंटन से संबंधित चुनाव के संचालन के लिए बनाए गए किसी भी नियम में कुछ भी विपरीत नहीं होने पर, 1968 के आदेश के प्रावधानों पर समान प्रकृति की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में भरोसा किया जा सकता है-1968 के आदेश की शर्तों के तहत पैराग्राफ 9,10,10 (ए) और 12 को सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ने पर, आर 1 का अनुरोध औचित्य से रहित नहीं है-1968 के आदेश को देखते हुए, अपीलकर्ताओं का विवेकाधिकार बेलगाम नहीं था, बल्कि यह 1968 के आदेश द्वारा निर्देशित था-आर 1 इसके द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवारों के लिए हल प्रतीक के विशेष आवंटन का हकदार है-उच्च न्यायालय के आदेश।12, 13 – भारत का संविधान-अनुच्छेद 226-चुनाव कानून।[पैरा 21,23,27-30,37,40 और 44]

भारत का संविधान**-**सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ**,** मूल संरचना का हिस्साः

आयोजित किया गयाःसंविधान की मूल संरचना का हिस्सा होने के नाते, संविधान के तहत निहित सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्तियों को संक्षिप्त, बहिष्कृत या हटाया नहीं जा सकता है।[पैरा 16]

वैकल्पिक उपाय**-**रिट अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए कोई रोक नहीं**-**लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास**-**विकल्प परिषद अधिनियम**, 1997 -**एस**. 13:**

आयोजित किया गयाःवैकल्पिक प्रभावी उपचार की उपलब्धता उच्च विशेषाधिकार रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए कोई बाधा नहीं है -धारा 13,1997 अधिनियम किसी संवैधानिक न्यायालय को आगे की कार्यवाही करने से नहीं रोकता है और न ही रोक सकता है-उच्च न्यायालय को उसके द्वारा जारी किए गए प्रकृति के निर्देश जारी करने से रोका गया था, विशेष रूप से तब जब ऐसा निर्देश किसी भी वैधानिक प्रावधान-भारत के संविधान-चुनाव कानूनों का उल्लंघन नहीं करता है।[पैरा 16]

अभ्यास और प्रक्रिया-अंतर-विभागीय संचार-इस पर भरोसाः

आयोजित किया गयाःअंतर-विभागीय संचार उचित निर्णय के लिए विचार की प्रक्रिया में हैं और किसी भी अधिकार का दावा करने के लिए एक आधार के रूप में उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है-वर्तमान मामले में, यह सही तर्क दिया गया था कि विधि विभाग द्वारा कानूनी राय केवल आंतरिक सलाह और सलाह बनी हुई है, और यह आर 1-चुनाव-प्रशासनिक कानून के पक्ष में कोई अधिकार नहीं बनाएगा/प्रदान नहीं करेगा। [पैरा 17] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 12 एस. सी. आर.

70

भारत का संविधान-अनुच्छेद **226-**दुर्लभ और असाधारण स्थिति में कार्रवाई के लिए निर्देश देने की शक्ति**,** जिसका संबंधित प्रावधानों में उल्लेख नहीं है-पर चर्चा की गई।

चुनाव-चुनाव प्राधिकरण**,** किसी भी बाहरी प्रवाह से स्वतंत्र होगाः

आयोजित किया गयाःकिसी भी अधिकारी/निकाय के लिए चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होने की आवश्यकता है-चुनाव लोकतंत्र के मूल में होते हैं-इस तरह के चुनाव कराने के लिए कानून द्वारा सौंपा गया अधिकार पूरी तरह से किसी भी बाहरी प्रवाह/विचार पर निर्भर होना चाहिए-वर्तमान मामले में, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने न केवल आर 1 को हल के प्रतीक से वंचित कर दिया है, बल्कि एकल न्यायाधीश द्वारा समय पर हस्तक्षेप करने पर भी, न केवल विरोध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, बल्कि केवल समय के साथ एक कारण को विफल भी कर दिया है।[पैरा 22]

चुनाव-पूर्व की स्थिति को वापस लाने के लिए उच्चतम न्यायालय की शक्तिः

आयोजित किया गयाःअपीलकर्ताओं की याचिका कि चुनाव प्रक्रिया के अंतिम चरण में पहुंचने के कारण आर 1 को कोई राहत नहीं दी जाए, खारिज कर दी गई-उच्च न्यायालय के लगातार आदेशों का पालन नहीं करने का विकल्प चुनने के बाद, जो समय पर पारित किए गए थे, जैसे कि अधिसूचना में दी गई चुनाव अनुसूची को बाधित/विलंबित नहीं करने के लिए, अपीलकर्ताओं को यह दलील देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि इस अंतिम मोड़ पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए-किसी भी वादी को संदेह या गलत धारणा भी नहीं होनी चाहिए कि केवल प्रणालीगत देरी या अदालतों द्वारा मामले को नहीं उठाए जाने के कारण कारण कारण विफल हो जाएगा, और अदालत संबंधित पक्ष को न्याय सुनिश्चित करने में असहाय हो जाएगी-यह न्यायालय घड़ी को भी पीछे कर सकता है।

नबाम रेबिया और बामंग फेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधान सभा ने [2016] 6 एस. सी. आर. 1 के रूप में रिपोर्ट किया-हालांकि,

नबाम रेबिया को सुभाष देसाई बनाम मामले में एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया है।

प्रधान सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल, हालांकि, सवाल

वृहत न्यायपीठ को संदर्भित किया जाना उपरोक्त शक्ति से विमुख नहीं होता है और इसके अलावा, केवल वृहत न्यायपीठ का संदर्भ घोषित किए जाने को अस्थिर नहीं करता है।

लद्दाख का संघ क्षेत्र बनाम जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन

विधि-भारत का संविधान-अभ्यास और प्रक्रिया-वृहद न्यायपीठ का संदर्भ घोषित विधि को अस्थिर नहीं करता है।[पैरा 31 और 32]

अभ्यास और प्रक्रिया-उच्च न्यायालय इस आधार पर मामलों का निर्णय नहीं कर रहे हैं कि संबंधित विषय पर सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख निर्णय या तो एक बड़ी पीठ को भेजा जाता है या उससे संबंधित एक समीक्षा याचिका लंबित है-उच्च न्यायालयों ने निर्णयों का सम्मान करने से इनकार कर दिया है क्योंकि बाद में एक समन्वित पीठ ने इसकी शुद्धता पर संदेह किया है-कानून निर्धारित करता हैः

आयोजित किया गयाःउच्च न्यायालय कानून के आधार पर मामलों का निर्णय करने के लिए आगे बढ़ेंगे, जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट रूप से निर्देश नहीं दिया जाता है कि किसी संदर्भ या समीक्षा याचिका के परिणाम की प्रतीक्षा की जाए, जैसा भी मामला हो-यह उच्च न्यायालय के लिए भी खुला नहीं है कि वह यह कहते हुए किसी निर्णय का पालन करने से इनकार करे कि उस पर बाद की समन्वय पीठ द्वारा संदेह किया गया है-इसके अलावा, किसी भी मामले में, जब सर्वोच्च न्यायालय की समान संख्या वाली पीठों द्वारा मिश्रित निर्णयों का सामना करना पड़ता है, तो यह पहले वाला निर्णय होता है जिसका पालन उच्च न्यायालयों को करना होता है-न्यायिक अनुशासन।[पैरा 35]

निर्णय/आदेश-व्याख्याः

आयोजित किया गयाःकुछ घोषणाओं के माध्यम से, संसद, राज्य विधानसभाओं और नगर पालिकाओं के चुनावों से संबंधित सिद्धांतों को अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित किया गया है-हालांकि, निर्णयों की व्याख्या हमेशा संबंधित विशिष्ट मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए-वर्तमान मामले में, अनुच्छेद 243-ओ, 243 जेडजी और 329 को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि कोई भी बाधा उच्च न्यायालय को प्रभावित नहीं करती है, यहां तक कि सिद्धांत रूप में भी-चुनाव-भारत का संविधान-अनुच्छेद 243-ओ, 243 जेडजी और 329।[पैरा 36]

चुनाव-चुनाव प्रक्रिया शुरू-संवैधानिक न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेपः

आयोजित किया गयाःचुनाव मामलों में एक सामान्य सिद्धांत के रूप में न्यायालयों द्वारा स्व-अधिरोपित प्रतिबंध, इस हद तक कि एक बार अधिसूचना जारी होने और चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद, संवैधानिक न्यायालय, सामान्य परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक हैं, एक विवादास्पद मुद्दा नहीं है-लेकिन जहां मुद्दे सामने आते हैं, जो अन्यायपूर्ण कार्यकारी कार्रवाई का संकेत देते हैं या उम्मीदवारों और/या राजनीतिक दलों के बीच समान अवसर को बाधित करने का प्रयास करते हैं, बिना किसी उचित या समझदार आधार के,

भारत के संविधान में कदम रखने के लिए संवैधानिक न्यायालयों की आवश्यकता होती है, न कि वे कर्तव्यबद्ध होते हैं।[पैरा 37]

चुनाव-चुनाव से संबंधित अपनी शक्तियों का मनमाने ढंग से उपयोग करने से संबंधित अधिकारी-गलत धारणा कि अंततः, चुनाव समाप्त होने के बाद और जब इस तरह के निर्णयों/कार्यों को चुनौती दी जाती है, तो समय बीतने के साथ अपरिवर्तनीय परिणाम सामने आते हैं, और कोई ठोस राहत नहीं दी जा सकती है-इस पर ध्यान दिया गयाः

आयोजित किया गयाःअधिकारियों द्वारा इस तरह का आचरण अदालत को एक व्यापक पुनर्विचार करने के लिए गंभीर रूप से मजबूर कर सकता है, कि क्या स्व-लगाए गए प्रतिबंधों को अधिक उदार व्याख्या की आवश्यकता हो सकती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय न केवल किया गया है, बल्कि किया गया भी देखा जाता है, और किसी भी दुस्साहस के प्रयास को जड़ से खत्म करने के लिए समय पर किया गया है।[पैरा 39]

चुनाव-एक चुनावी प्रणाली में प्रतीक का महत्व, विशेष रूप से एक राजनीतिक दल को आवंटित-चर्चा की गई।

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

परम पूज्य केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम केरल राज्य,

(1973) 4 एससीसी 225:[1973] पूरक।एस. सी. आर. 1; इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण, 1975 पूरक एस. सी. सी. 1:[1976] एस. सी. आर. 347; मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम.भारत संघ, (1980) 3 एस. सी. सी. 625:[1981] 1 एस. सी. आर. 206; एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, (1997) 3 एस. सी. सी. 261:[1997] 2 एस. सी. आर. 1186; कल्पना मेहता बनाम भारत संघ, (2018) 7 एस. सी. सी. 1:[2018] 4 एससीआर 1; रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, (2020) 6 एससीसी 1:[2019] 16 एस. सी. आर. 1; नबाम रेबिया और बामंग

फेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधान सभा, (2016)

8 एससीसी 1:[2016] 6 एस. सी. आर. 1-अनुसरण किया गया।

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नूह, 1958 एस. सी. आर. 595; मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड बनाम.जहां खान,

(2007) 10 एससीसी 88:[2007] 9 एस. सी. आर. 715; महाराष्ट्र शतरंज संघ बनाम भारतीय संघ, (2020) 13 एस. सी. सी. 285:[2019] 10 एससीआर 304; राधा कृष्ण

उद्योग बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, (2021) 6 एस. सी. सी. 771; गोदरेज सारा ली लिमिटेड बनाम।उत्पाद शुल्क और कराधान कार्यालय और निर्धारण प्राधिकरण, 2023 एस. सी. सी.

ऑनलाइन एससी 95; महादेव बनाम सोवन देवी, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1118; उच्च

त्रिपुरा न्यायालय बनाम तीर्थ सारथी मुखर्जी, (2019) 16 एस. सी. सी. 663:[2019] 2 एस. सी. आर. 692; ऐश मोहम्मद बनाम हरियाणा राज्य, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 736;

हर्भजन सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2009) 13 एससीसी 608:[2009] 11 एससीआर 73

लद्दाख का संघ क्षेत्र बनाम जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन 74

1015; अशोक सदरंगनी बनाम भारत संघ, (2012) 11 एस. सी. सी. 321:[2012] 3 एससीआर 826; नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी, (2017) 16 एससीसी 680:[2017] 13 एस. सी. आर. 100; श्री सादिक अली बनाम भारत का चुनाव आयोग, नई दिल्ली, (1972) 4 एस. सी. सी.; ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस,

शिलांग बनाम कैप्टन डब्ल्यू. ए. संगमा (1977) 4 एस. सी. सी. 161:[1978] 1 एससीआर 393;

एडापड्डी के पलानीस्वामी बनाम टीटीवी दिनाकरन, (2019) 18 एससीसी 219:[2019]

3 एस. सी. आर. 200-पर निर्भर।

सुभाष देसाई बनाम प्रधान सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 607; हरियाणा राज्य बनाम जी. डी. गोयनका टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2018) 3 एस. सी. सी. 585; एन. पी. पोन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफि सेर, नामक्कल निर्वाचन क्षेत्र, 1952 एस. सी. आर. 218; दुर्गा शंकर मेहता बनाम ठाकुर रघुराज सिंह, (1955) 1 एस. सी. आर. 269; हरि विष्णु कामत बनाम सैयद अहमद इशावे, (1955) 1 एस. सी. आर. 1104; नारायण भास्कर खरे (डॉ.) बनाम भारत का चुनाव आयोग, 1957 एस. सी. आर. 1081; मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव।

आयुक्त (1978) 1 एस. सी. सी. 405:[1978] 2 एस. सी. आर. 272; लक्ष्मी चरण सेन बनाम ए. के. एम हसन उज़्ज़मान, (1985) 4 एस. सी. सी. 689:[1985] 1 पूरक।एससीआर

493; इंद्रजीत बरुआ बनाम भारत का चुनाव आयोग, (1985) 4 एस. सी. सी. 722:[1985] 3 पूरक।एस. सी. आर. 225; भारत का चुनाव आयोग बनाम शिवाजी, (1988) 1 एस. सी. सी. 277:[1988] 1 एस. सी. आर. 878; दिग्विजय मोटे बनाम भारत संघ, (1993) 4 एस. सी. सी. 175:[1993] 1 पूरक।एस. सी. आर. 553; बोड्डुला कृष्णैया बनाम राज्य चुनाव

आयुक्त, आंध्र प्रदेश (1996) 3 एस. सी. सी. 416:[1996] 3 एससीआर 687;

अनुग्रह नारायण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1996) 6 एससीसी 303:[1996] 5 पूरक।एस. सी. आर. 719; भारत का चुनाव आयोग बनाम अशोक कुमार, (2000)

8 एससीसी 216:[2000] 3 पूरक।एस. सी. आर. 34; किशनसिंह तोमर बनाम नगर निगम, अहमदाबाद, (2006) 8 एस. सी. सी. 352:[2006] 7 पूरक।एससीआर 45; पश्चिम

बंगाल राज्य चुनाव आयोग बनाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), (2018) 18 एस. सी. सी. 141; द्रविड़ मुनेत्र कड़गम बनाम तमिलनाडु राज्य,

(2020) 6 एससीसी 548:[2019] 14 एससीआर 704; लक्ष्मीबाई बनाम कलेक्टर, (2020) 12

एससीसी 186:[2020] 2 एससीआर 880; गोवा राज्य बनाम फौजिया इम्तियाज शेख, (2021)

8 एस. सी. सी. 401-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2023 की सिविल अपील No.5707 2023 के LPA No.151 में श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 14.08.2023 से।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

ए 1:केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अपने मुख्य सचिव ए 2 के माध्यम सेःमुख्य चुनाव अधिकारी, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख

ए 3:जिला चुनाव कार्यालय (कारगिल)

ए 4:प्रशासनिक सचिव, चुनाव विभाग, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आर 1:जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपने महासचिव के माध्यम से

आर 2:भारत का चुनाव आयोग

रूपः

तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, के. एम. नटराज, ए. एस. जी., पीयूष बेरीवाल, रजत नायर, शैलेश मडियाल, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, विनायक शर्मा, डॉ. अरुण कुमार यादव, श्रीकांत नीलप्पा तेरदल, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

एस. डी. संजय, वरिष्ठ अधिवक्ता, शारिक जे. रियाज, सैयद अहमद सऊद, दानिश अहमद सैयद, मोहम्मद।परवेज डबास, उज़्मी जमील हुसैन, अकीब बेग, मोहम्मद।साहिब, मेसर्स शकील अहमद सैयद, अक्षत अग्रवाल, अक्षय अमृतांशु, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

अहसानउद्दीन अमानुल्लाह**,** जे।

पक्षकारों की विद्वान सलाह सुनी।2. छुट्टी दे दी गई।

3. वर्तमान अपील श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय (इसके बाद "उच्च न्यायालय" के रूप में संदर्भित) की एक विद्वान खंड पीठ द्वारा दिए गए निर्णय और आदेश दिनांक 14.08.2023 (इसके बाद "विवादित निर्णय" के रूप में संदर्भित) के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें अपीलकर्ताओं के नेतृत्व में 2023 की लेटर्स पेटेंट अपील No.151 को खारिज किया गया है और 2023 की रिट याचिका (सिविल) No.1933 में दिनांक 09.08.2023 के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश को बरकरार रखा गया है।

लद्दाख का संघ क्षेत्र बनाम जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन [अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जे.] 76

75

संक्षिप्त तथ्यः

4. इस सूची में शामिल विवाद रिट याचिकाकर्ता, जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन/प्रतिवादी संख्या 1 (जिसे इसके बाद "आर 1" के रूप में संदर्भित किया गया है) को अपने उम्मीदवारों के लिए लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, कारगिल

(जिसे इसके बाद "एल. ए. एच. डी. सी". के रूप में संदर्भित किया गया है) के आगामी आम चुनाव लड़ने के लिए हल प्रतीक का आवंटन नहीं करना है।मामले में तात्कालिकता को देखते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने 09.08.2023 पर एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसका परिचालन भाग पैराग्राफ 11 में नीचे दिया गया हैः

"11. लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एल. ए. एच. डी. सी.) के आगामी आम चुनाव की घोषणा को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता-पक्ष को निर्देश दिया जाता है कि वह पहले से आवंटित आरक्षित प्रतीक (हल) को अधिसूचित करने के लिए उत्तरदाता 1 से 3 और 5 के आधिकारिक सीई से संपर्क करे और उत्तरदाता 1 से 3 और 5 चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैराग्राफ 10 और 10 (ए) के संदर्भ में याचिकाकर्ता-पक्ष को आवंटित प्रतीक को अधिसूचित करेंगे और याचिकाकर्ता-पक्ष द्वारा स्थापित उम्मीदवारों को पहले से ही पार्टी को आवंटित आरक्षित चुनाव प्रतीक (हल) पर चुनाव लड़ने की अनुमति देंगे।"

5. पीड़ित, अपीलकर्ताओं ने एक अपील को प्राथमिकता देते हुए उच्च न्यायालय की विद्वत खंड पीठ का रुख किया, जिसे सुनवाई के बाद 14.08.2023 पर विवादित निर्णय के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

अपीलार्थियों द्वारा निवेदनः

6. अपीलार्थियों की ओर से श्री के. एम. नटराज, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (इसके बाद "ए. एस. जी". के रूप में संदर्भित) ने प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की विद्वान खंड पीठ ने कानून के विपरीत निर्देश जारी किए हैं।यह प्रस्तुत किया गया कि दोनों आदेश एक गलत धारणा पर पारित किए गए हैं कि चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 (इसके बाद "1968 आदेश" के रूप में संदर्भित) के प्रावधान एल. ए. एच. डी. सी. के चुनावों में लागू होंगे। ज्ञात ए. एस. जी. ने प्रचार किया कि यह सही कानूनी स्थिति नहीं है क्योंकि एल. ए. एच. डी. सी. चुनाव लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (चुनाव) नियम, 1995 (इसके बाद "1995 नियम" के रूप में संदर्भित) के नियम 5 के तहत गठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के चुनाव प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया जा रहा है।यह तर्क दिया गया था कि चुनाव आयोग

भारत (इसके बाद "ईसीआई" के रूप में संदर्भित) को संसदीय और राज्य विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव कराने का अधिकार है और वर्तमान एलएएचडीसी चुनावों के लिए, ईसीआई किसी भी अधिकार का प्रयोग नहीं करता है।इस प्रकार, विद्वान एएसजी ने प्रस्तुत किया कि 1968 के आदेश के प्रावधानों का कोई भी संदर्भ गलत है।

7. ए. एस. जी. ने आगे तर्क दिया कि पैराग्राफ नं. 1968 के आदेश के 9,10 और 10 (ए) में उन राज्यों में राज्य दलों के लिए आरक्षित प्रतीकों के आवंटन पर प्रतिबंधों की बात की गई है जहां ऐसे दलों को मान्यता नहीं है; अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में चुनावों में एक राज्य पार्टी द्वारा स्थापित उम्मीदवारों को रियायत, और; एक गैर-मान्यता प्राप्त पार्टी द्वारा स्थापित उम्मीदवारों को रियायत जो पहले एक राष्ट्रीय या राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त थी।इस प्रकार, यह उनका स्पष्ट रुख था कि ऐसी रियायत केवल संसदीय और राज्य विधानसभा चुनावों के उद्देश्यों के लिए हो सकती है, न कि विचाराधीन चुनाव के लिए।

8. विद्वान ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया कि ई. सी. आई. द्वारा आर 1 को दिनांकित अपने संचार में, कि वह 1968 के आदेश के पैराग्राफ 10 के तहत रियायत का लाभ उठा सकता है, न तो आर 1 को कोई अधिकार प्रदान कर सकता है, और न ही केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के चुनाव प्राधिकरण को आर 1 की प्रार्थना की अनुमति देने के लिए मजबूर कर सकता है, जैसा कि उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में किया गया है।अपीलकर्ता संख्या 1 के विधि विभाग की राय के संबंध में, जैसा कि जिला चुनाव अधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट), कारगिल द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दिनांकित अपने संदेश में उद्धृत किया गया है, यह केवल सलाह ही थी, लेकिन बाध्यकारी नहीं थी क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के चुनाव प्राधिकरण को इस तरह के अनुरोध पर स्वतंत्र रूप से विचार करना है।

9. उन्होंने प्रस्तुत किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र जमा किया है, उनमें से किसी ने भी या तो हल का प्रतीक नहीं मांगा है या संबंधित कॉलम में संकेत नहीं दिया है कि वे आर 1 के उम्मीदवार थे और केवल इसी अंक पर, इस स्तर पर, आर 1 इस न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की छूट का हकदार नहीं था।

10. उन्होंने अपने तर्कों का सारांश यह कहते हुए दिया कि अब तक चुनाव की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी।ए. एस. जी. ने बताया कि नामांकन पत्रों की अंतिम भाषा 16.08.2023 से शुरू हो गई थी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि (26.08.2023) बीत जाने के बाद से अंतिम चरण में पहुंच गई थी।यह कहा गया था कि अब केवल मतदान 10.09.2023 पर होना बाकी है और मामले के इस दृष्टिकोण से, यह न्यायालय विवादित आदेश को रद्द कर सकता है।

उत्तरदाता संख्या **1** द्वारा प्रस्तुतियाँः

11. आर 1 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश दिनांक 09.08.2023 और विद्वान खंड पीठ दिनांक 14.08.2023 के आदेश स्व-भाषी हैं और अपीलार्थियों की दलीलों के साथ विस्तार से निपटाए गए हैं और उन्हें ठोस कानूनी और तथ्यात्मक आधारों पर अस्वीकार कर दिया गया है।यह प्रस्तुत किया गया था कि पहले स्थान पर, अपीलकर्ताओं को हल प्रतीक देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि आर 1 एल. ए. एच. डी. सी. में सत्तारूढ़ दल है, और हल प्रतीक का हकदार था, क्योंकि यह न तो स्वतंत्र प्रतीकों की सूची का हिस्सा था और न ही किसी अन्य राष्ट्रीय या राज्य दल को आवंटित किया गया था, जिसे न तो निर्वाचन आयोग द्वारा या केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए चुनाव प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त थी।यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलकर्ताओं द्वारा उम्मीदवारों के बीच एक समान खेल को अस्वीकार करने के लिए तिरछे कारणों से अपने पसंदीदा प्रतीक (हल) को अस्वीकार करने में पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण और मनमाना दृष्टिकोण अपनाया गया था।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि हल प्रतीक दशकों से मतदाताओं के लिए अच्छी तरह से जाना जाता था क्योंकि विशेष रूप से आर 1 से जुड़ा हुआ था, उसी के इनकार का स्पष्ट रूप से अनुचित पूर्वाग्रह पैदा करने का इरादा है।यह कहा गया था कि एल. ए. एच. डी. सी. चुनाव लड़ने वाले शेष उम्मीदवारों/दलों को अनुचित लाभ होगा।

12. उन्होंने न्यायालय से इस तथ्य पर ध्यान देने का आग्रह किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने नामांकन की अंतिम भाषा शुरू होने से पहले ही निर्देश पारित कर दिए थे, जिसे विद्वान खंड पीठ ने बरकरार रखा था।

1 इस न्यायालय के दिनांकित आदेश 01.09.2023 को तैयार संदर्भ के लिए उद्धृत किया गया हैः

‘अभियोग दाखिल करने का आवेदन खारिज कर दिया जाता है।पक्षकारों की विद्वान सलाह सुनी।फैसला सुरक्षित है।

घोषणा के लिए मामले को 06.09.2023 पर सूचीबद्ध करें।’

पुनः, नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले था, और विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष अवमानना का मामला लंबित होने के बावजूद, जिसे वर्तमान अपील के लंबित होने का हवाला देते हुए अपीलार्थियों द्वारा की गई प्रार्थना पर स्थगित कर दिया गया था, अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया था।इस पृष्ठभूमि में, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय के समक्ष यह रुख अपनाना कि अब समय के अभाव के कारण, आर 1 को कोई राहत नहीं दी जा सकती है, स्पष्ट रूप से बेईमान आचरण था।यह प्रस्तुत किया गया था कि यह न्यायालय किसी न्यायसंगत कारण को केवल दूसरे पक्ष द्वारा की गई देरी के कारण विफल नहीं होने देगा और अपीलार्थी आर 1 के वैध और वास्तविक दावे के नुकसान के लिए अपने कारण हुई ऐसी देरी का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

13. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान चुनावों के लिए राष्ट्रीय दलों को अपीलकर्ताओं द्वारा प्रतीकों और अधिसूचना में दिखाए गए स्वतंत्र प्रतीकों का आवंटन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे 1968 के आदेश के अनुरूप हैं।इस प्रकार, उन्होंने प्रस्तुत किया, अपीलकर्ताओं को गर्म और ठंडा उड़ाने से रोक दिया गया है कि उन्हें अपनी सनक और इच्छा के अनुसार चुनिंदा रूप से यह तय करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि 1968 के आदेश के तहत कौन से प्रावधान लागू होंगे और कौन से प्रावधान लागू नहीं होंगे।यह प्रस्तुत किया गया था कि 1968 के आदेश के पैराग्राफ 9,10,10 (ए) और 12 को भी सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ने से संदेह से परे संकेत मिलेगा कि इसके विपरीत कुछ भी नहीं होने पर, अपीलार्थियों को 1968 के आदेश द्वारा निर्देशित होने की आवश्यकता थी, जो कि निर्वाचन आयोग द्वारा आर 1 को लिखे गए पत्र में भी संकेत था और यही दृष्टिकोण विधि विभाग द्वारा अपीलार्थियों को अपनी कानूनी राय में लिया गया था।

विश्लेषण, कारण और निष्कर्षः

14. 1968 के आदेश के प्रासंगिक पैराग्राफ, जिन पर विद्वान ए. एस. जी. और आर 1 के लिए विद्वान वकील द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया था, नीचे दिए गए हैं:

"9. उन राज्यों में राज्य दलों के लिए आरक्षित प्रतीकों के आवंटन पर प्रतिबंध जहां ऐसे दलों को मान्यता नहीं है।— एक प्रतीक

किसी राज्य में किसी राज्य दल के लिए आरक्षित-(क) किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए स्वतंत्र प्रतीकों की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, और

(ख) किसी अन्य पक्ष के लिए आरक्षित नहीं होगा जो बाद में अनुच्छेद 6 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर किसी अन्य राज्य में राज्य पक्ष के रूप में मान्यता के लिए पात्र हो जाता है:

बशर्ते कि खंड (ख) में निहित कुछ भी उस राजनीतिक दल के संबंध में लागू नहीं होगा, जिसके लिए आयोग ने चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) (संशोधन) आदेश, 1997 के प्रारंभ होने से ठीक पहले ही वही प्रतीक आरक्षित कर रखा है जो उसने किसी अन्य राज्य या राज्यों में किसी अन्य राज्य दल या दलों के लिए भी आरक्षित कर रखा है।

10. अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के चुनावों में किसी राज्य दल द्वारा स्थापित उम्मीदवारों को रियायतें।— यदि कोई राजनीतिक दल, जो

किसी राज्य या राज्यों में एक राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त, किसी अन्य राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनाव में एक उम्मीदवार स्थापित करता है जिसमें वह एक मान्यता प्राप्त राज्य दल नहीं है, तो ऐसा उम्मीदवार, निर्वाचन क्षेत्र में अन्य सभी उम्मीदवारों को बाहर करने के लिए, उस राज्य या राज्यों में उस दल के लिए आरक्षित प्रतीक आवंटित किया जा सकता है जिसमें वह एक मान्यता प्राप्त राज्य दल है, इसके बावजूद कि ऐसा प्रतीक ऐसे अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए स्वतंत्र प्रतीकों की सूची में निर्दिष्ट नहीं है, निम्नलिखित शर्तों में से प्रत्येक की पूर्ति पर, अर्थात्:—

(क) कि उक्त पक्ष द्वारा आयोग को उसके द्वारा स्थापित उम्मीदवार को उस प्रतीक के अनन्य आवंटन के लिए एक आवेदन किया जाता है, चुनाव बुलाने वाली अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के तीसरे दिन के बाद नहीं;

(ख) कि उक्त उम्मीदवार ने अपने नामांकन पत्र में घोषणा की है कि उसे चुनाव में उस पार्टी द्वारा स्थापित किया गया है और पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार के संबंध में अनुच्छेद 13 ए के साथ पठित अनुच्छेद 13 के खंड (बी), (सी), (डी) और (ई) की आवश्यकताओं को भी पूरा किया है; और

(ग) आयोग की राय में इस तरह के आवंटन के लिए आवेदन को अस्वीकार करने का कोई उचित आधार नहीं है:बशर्ते कि इस पैराग्राफ में निहित कुछ भी उस राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में राज्य दल द्वारा स्थापित उम्मीदवार पर लागू नहीं होगा जिसमें वह दल राज्य दल नहीं है और जहां वही प्रतीक पहले से ही उस राज्य में किसी अन्य राज्य दल के लिए आरक्षित है।

10A. किसी गैर-मान्यता प्राप्त पार्टी द्वारा स्थापित उम्मीदवारों को रियायत जो पहले एक राष्ट्रीय या राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त थी।- यदि ए.

राजनीतिक दल, जो वर्तमान में मान्यता प्राप्त नहीं है लेकिन एक मान्यता प्राप्त था

चुनाव की अधिसूचना की तारीख से छह साल से पहले किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय या राज्य दल किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करता है, चाहे वह दल पहले उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मान्यता प्राप्त था या नहीं, तो ऐसे उम्मीदवार को उस निर्वाचन क्षेत्र में अन्य सभी उम्मीदवारों को छोड़कर, उस

पार्टी के लिए पहले आरक्षित प्रतीक आवंटित किया जा सकता है जब वह एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य दल था, भले ही ऐसा प्रतीक ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए स्वतंत्र प्रतीकों की सूची में निर्दिष्ट नहीं किया गया हो, निम्नलिखित शर्तों में से प्रत्येक को पूरा करने पर, अर्थात्:--

(क) कि उक्त पक्ष द्वारा आयोग को उसके द्वारा स्थापित उम्मीदवार को उस प्रतीक के विशेष आवंटन के लिए आवेदन किया जाता है, चुनाव का आह्वान करने वाली अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के तीसरे दिन के बाद नहीं;

(ख) कि उक्त उम्मीदवार ने अपने नामांकन पत्र में घोषणा की है कि उसे चुनाव में उस पार्टी द्वारा स्थापित किया गया है और पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार के संबंध में अनुच्छेद 13 ए के साथ पठित अनुच्छेद 13 के खंड (बी), (सी), (डी) और (ई) की आवश्यकताओं को भी पूरा किया है; और

(ग) आयोग की राय में इस तरह के आवंटन के लिए आवेदन को अस्वीकार करने का कोई उचित आधार नहीं हैः

बशर्ते कि इस पैराग्राफ में निहित कुछ भी किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में उक्त पार्टी द्वारा स्थापित उम्मीदवार पर लागू नहीं होगा, जहां वही प्रतीक पहले से ही उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किसी अन्य राष्ट्रीय या राज्य पार्टी के लिए आरक्षित है।

XXX

12. अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्रतीकों का चयन और आवंटन

वहाँ से।— **(1)** किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में कोई भी उम्मीदवार**,** इसके अलावा **-**

(क) राष्ट्रीय पार्टी द्वारा स्थापित उम्मीदवार; या

(ख) एक राजनीतिक दल द्वारा स्थापित उम्मीदवार जो उस राज्य में एक राज्य दल है; या 81

लद्दाख का संघ क्षेत्र बनाम जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन [अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जे.] 82

(ग) पैराग्राफ 10 या पैराग्राफ 10 ए में निर्दिष्ट उम्मीदवार; इस पैराग्राफ में इसके बाद निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, पैराग्राफ 17 के तहत अधिसूचना द्वारा उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए स्वतंत्र प्रतीकों के रूप में निर्दिष्ट प्रतीकों में से एक का चयन करेगा और उसे आवंटित किया जाएगा।

(2) जहां ऐसे चुनाव में केवल एक उम्मीदवार द्वारा कोई स्वतंत्र प्रतीक चुना गया है, वहां लौटने वाला अधिकारी उस उम्मीदवार को वह प्रतीक आवंटित करेगा और किसी और को नहीं।

(3) जहां ऐसे चुनाव में कई उम्मीदवारों द्वारा एक ही स्वतंत्र प्रतीक का चयन किया गया है, तो -

(क) यदि उन कई उम्मीदवारों में से केवल एक ही एक गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा स्थापित उम्मीदवार है और बाकी सभी स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, तो लौटने वाला अधिकारी उस स्वतंत्र प्रतीक को गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा स्थापित उम्मीदवार को आवंटित करेगा, और किसी और को नहीं; और, यदि वे कई उम्मीदवार, दो या दो से अधिक अलग-अलग गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा स्थापित किए गए हैं और बाकी स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, तो लौटने वाला अधिकारी लॉट द्वारा तय करेगा कि अलग-अलग गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा स्थापित दो या दो से अधिक उम्मीदवारों में से किसे स्वतंत्र प्रतीक आवंटित किया जाएगा, और वह स्वतंत्र प्रतीक उस उम्मीदवार को आवंटित करेगा जिस पर लॉट गिरता है, और किसी और को नहीं।

बशर्ते कि जहां ऐसे अलग-अलग गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा स्थापित दो या दो से अधिक ऐसे उम्मीदवारों में से केवल एक ही, ऐसे चुनाव से तुरंत पहले, लोक सभा का या, यथास्थिति, विधान सभा का एक मौजूदा सदस्य है या था (इस तथ्य के बावजूद कि क्या उसे पिछले चुनाव में वह स्वतंत्र प्रतीक या कोई अन्य प्रतीक आवंटित किया गया था जब उसे ऐसे सदस्य के रूप में चुना गया था), वहां लौटने वाला अधिकारी उस उम्मीदवार को वह स्वतंत्र प्रतीक आवंटित करेगा, और किसी अन्य को नहीं।

(ख) यदि उन कई उम्मीदवारों में से किसी को भी किसी गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और सभी स्वतंत्र उम्मीदवारों द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, लेकिन स्वतंत्र उम्मीदवारों में से एक ऐसे चुनाव से तुरंत पहले लोक सभा का, या, जैसा भी मामला हो, विधान सभा का एक मौजूदा सदस्य है, या था, और उसे वह स्वतंत्र प्रतीक आवंटित किया गया था।

पिछले चुनाव में जब उन्हें ऐसे सदस्य के रूप में चुना गया था, तो निर्वाचन अधिकारी उस उम्मीदवार को वह स्वतंत्र प्रतीक आवंटित करेगा, और किसी और को नहीं; और

(ग) यदि उन कई उम्मीदवारों में से, जो सभी स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, कोई भी उपरोक्त के रूप में एक मौजूदा सदस्य नहीं है, या था, तो लौटने वाला अधिकारी लॉट द्वारा तय करेगा कि उन स्वतंत्र उम्मीदवारों में से किसे वह स्वतंत्र प्रतीक आवंटित किया जाएगा, और उस स्वतंत्र प्रतीक को उन उम्मीदवारों को आवंटित करेगा जिन पर लॉट पड़ता है, और किसी और को नहीं।"

15. लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम, 1997 की धारा 12 और 13 (इसके बाद "1997 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) निम्नानुसार हैः

"12. चुनावों को लेकर विवाद।– (1) कोई चुनाव नहीं होगा

सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले ऐसे प्राधिकारी के समक्ष और निर्धारित तरीके से प्रस्तुत की जाने वाली चुनाव याचिका के अलावा प्रश्न में बुलाया जाता हैः

बशर्ते कि जिला न्यायाधीश के पद से नीचे के किसी भी व्यक्ति को इस धारा के उद्देश्य के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(2) निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधार के अलावा कोई चुनाव नहीं बुलाया जाएगा, अर्थात्:–

(क) कि उनके चुनाव की तारीख को लौटे उम्मीदवार को अर्हता प्राप्त नहीं किया गया था या अयोग्य घोषित किया गया था, जिसे परिषद में सीट के लिए चुना जाना था;

(ख) कि एक भ्रष्ट प्रथा एक लौटे उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लौटे उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से की गई है।

व्याख्याः— इस धारा के प्रयोजनों के लिए "भ्रष्ट आचरण" का अर्थ जम्मू और कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 की धारा 132 में निर्दिष्ट किसी भी भ्रष्ट आचरण से होगा।

2 इसने लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम, 1995 (1995 का राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 1) को निरस्त कर दिया।

(ग) कि किसी भी नामांकन को अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है;

(घ) कि चुनाव का परिणाम जहां तक लौटने वाले उम्मीदवार का संबंध है, भौतिक रूप से लागू किया गया है -

((i) किसी भी नामांकन की अनुचित स्वीकृति द्वारा; या

((ख) निर्वाचन अभिकर्ता के अलावा किसी अन्य अभिकर्ता द्वारा निर्वाचित उम्मीदवार के हित में किए गए किसी भी भ्रष्ट आचरण द्वारा; या

((ग) किसी भी मत का अनुचित स्वागत, इनकार या अस्वीकृति द्वारा; या (घ) किसी भी मत का स्वागत जो शून्य है; या

((v) इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के प्रावधानों का पालन न करना।

(3) निर्वाचन याचिका के विचारण के समापन पर उप-धारा (1) के तहत नियुक्त प्राधिकारी एक आदेश देगा-(क) निर्वाचन याचिका को खारिज करना; या

(ख) सभी या किसी भी लौटे हुए उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य घोषित करना; या

(ग) सभी या किसी भी लौटने वाले उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य घोषित करना और याचिकाकर्ता या किसी अन्य उम्मीदवार को विधिवत चुना जाना।

(4) यदि कोई याचिकाकर्ता वापस लौटे उम्मीदवार के चुनाव पर सवाल उठाने के अलावा यह घोषणा करता है कि वह स्वयं या कोई अन्य उम्मीदवार विधिवत निर्वाचित हुआ है और उप-धारा (1) के तहत प्राधिकरण की राय है कि -

(क) वास्तव में याचिकाकर्ता या ऐसे अन्य उम्मीदवार को वैध मतों का बहुमत प्राप्त हुआ है; या

(ख) लेकिन भ्रष्ट आचरण द्वारा लौटे उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों के लिए याचिकाकर्ता या ऐसे अन्य उम्मीदवार ने वैध मतों का बहुमत प्राप्त किया होगा,

उपरोक्त प्राधिकारी, वापस लौटे उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य घोषित करने के बाद, याचिकाकर्ता या ऐसे अन्य उम्मीदवार को, जैसा भी मामला हो, विधिवत निर्वाचित घोषित करेगा।

13. चुनाव विवादों के लिए प्रक्रिया।– प्रक्रिया प्रदान की गई

सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत 1977 में वादों के संबंध में धारा 12 के तहत नियुक्त प्राधिकारी द्वारा इसका पालन किया जाएगा, जहां तक इस अधिनियम के तहत एक चुनाव याचिका के मुकदमे और निपटारे में इसे लागू किया जा सकता है।

16. यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि इस न्यायालय और संविधान के तहत निहित उच्च न्यायालयों की शक्तियों को हमारे संविधान की मूल संरचना का हिस्सा होने के नाते संक्षिप्त, बहिष्कृत या छीन नहीं लिया जा सकता है।संदर्भ

केवल परम पूज्य केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम केरल राज्य**, (1973) 4** एस**.** सी**.** सी**. 225;** इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण**, 1975** एस**.** सी**. 1;** मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ**, (1980) 3** एस**.** सी**.** सी**. 625;** एल**.** चंद्र कुमार बनाम भारत संघ**, (1997) 3** एस**.** सी**.** सी**. 261** और हाल ही में**,** कल्पना मेहता बनाम भारत संघ**, (2018) 7** एस**.** सी**.** सी**. 1** और रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड**, (2020) 6** एस**.** सी**.** सी**.** में निर्णय लेने की आवश्यकता है।

1, ये सभी 5 या उससे अधिक विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रस्तुत किए गए थे।1997 के अधिनियम की धारा 12 हमें हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है।जहाँ तक 1997 के अधिनियम की धारा 13 का संबंध है, अब तक यह बहुत अच्छी तरह से तय हो चुका है कि वैकल्पिक प्रभावी उपचार की उपलब्धता उच्च विशेषाधिकार रिट अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए कोई बाधा नहीं है, जिसमें विभिन्न निर्णय शामिल हैं, लेकिन सीमित नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नूह**, 1958** एस**.** सी**.** आर**. 595;** मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड बनाम जहां खान**, (2007) 10** एस**.** सी**.** सी**. 88;** महाराष्ट्र शतरंज संघ बनाम भारतीय संघ**, (2020) 13** एस**.** सी**.** सी**. 285**।यहां तक कि राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य**, (2021) 6** एस**.** सी**.** सी**. 771,1997** की धारा **13** के संदर्भ में भी।

अधिनियम किसी संवैधानिक न्यायालय को आगे बढ़ने से नहीं रोकता है और न ही रोक सकता है।हम इस मुद्दे पर स्थापित अधिकारियों को गुणा नहीं करना चाहते हैं लेकिन

इस सूची में हाल ही में बनी गोदरेज सारा ली लिमिटेड बनाम उत्पाद शुल्क और कराधान कार्यालय सह-निर्धारण प्राधिकरण, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 95 को जोड़ा जाएगा।

ऊपर वर्णित है।17. सीमा पर, यह ध्यान दिया जाता है कि निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानसभाओं और राज्य विधान परिषदों के चुनावों के संचालन से संबंधित है।केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में वर्तमान में विधानसभा नहीं है।संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए पिछला चुनाव वर्ष 2019 में हुआ था।उस ने कहा, पहली चीजें पहली बार।विधि विभाग द्वारा कानूनी राय आंतरिक सलाह और केवल सलाह बनी हुई है, और 85

इस प्रकार, विद्वान ए. एस. जी. का यह तर्क सही था कि यह आर 1 के पक्ष में कोई अधिकार नहीं बनाएगा/प्रदान नहीं करेगा। महादेव बनाम सोवन देवी, 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1118 (जहां हममें से एक, जे. विक्रम नाथ, कोरम का हिस्सा थे) में, अदालत ने विभिन्न मामले-कानूनों पर विचार करने के बाद कहा कि "यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अंतर-विभागीय संचार उचित निर्णय के लिए विचार की प्रक्रिया में हैं और किसी भी अधिकार का दावा करने के लिए आधार के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है।..."

18. कल्पना मेहता (ऊपर) में, माननीय दीपक मिश्रा, सी. जे. आई., जिनके साथ 4 विद्वान न्यायाधीश सहमत थे, ने कहाः

"40. न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह ध्यान में रखना होगा कि अधिकार का स्रोत भारत का संविधान है।न्यायालय के पास शक्ति की सीमाओं की जांच करने और ऐसी सीमाओं के उल्लंघन का निर्णय लेने का अधिकार है।आर. एस. पाठक, सी. जे. द्वारा भारत संघ बनाम रघुबीर सिंह [भारत संघ बनाम रघुबीर सिंह, (1989) 2 एस. सी. सी. 754] में न्यायिक समीक्षा की प्रकृति और दायरे को संक्षेप में इस प्रकार कहा गया हैः(एस. सी. सी पी. 766, पैरा 7) "7. भारत की उच्चतर न्यायपालिका में मान्यता प्राप्त न्यायिक समीक्षा की सीमा शायद कानून की दुनिया में सबसे व्यापक और सबसे व्यापक है।... न्यायिक शक्ति के इस प्रभावशाली विस्तार के साथ, यह केवल सही है कि भारत में उच्च न्यायालयों को उस विशाल जिम्मेदारी के प्रति सचेत होना चाहिए जो उन पर है।यह उच्चतम न्यायालय के बारे में विशेष रूप से सच है, क्योंकि संपूर्ण न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में उसके द्वारा घोषित कानून, संविधान के अनुच्छेद 141 द्वारा, भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है।"

और फिर सेः(एस. सी. सी. पी. 767, पैरा 11)

"11. कानूनी मजबूरियों को मौजूदा कानूनी प्रस्तावों द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमेशा मौजूदा कानून की सीमाओं से परे, न्यायिक जांच और न्यायिक चयन को आमंत्रित करने वाले नए क्षेत्र होंगे जो मौजूदा कानूनी हठधर्मिता की वैधता को अच्छी तरह से प्रभावित कर सकते हैं।एक बदले हुए सामाजिक युग के लिए उत्तरदायी समाधानों की खोज में न केवल कानून के प्रतिस्पर्धी प्रस्तावों, या किसी कानूनी प्रस्ताव के प्रतिस्पर्धी संस्करणों, या "निष्पक्षता" या "तर्कसंगतता" जैसे एक अंतहीन के तौर-तरीकों के बीच खोज शामिल है, बल्कि अनुभवजन्य ज्ञान के अनुरूप सत्तारूढ़ कानून के बाहर के प्रस्तावों के बीच भी खोज शामिल है।

या वर्तमान समय और स्थान के स्वीकृत मूल्य, जो नए मापदंडों के भीतर न्याय के वितरण के लिए प्रासंगिक हैं।"

उपरोक्त दो परिच्छेद पूर्व-प्रेषित के स्वीकृत मूल्यों को ध्यान में रखते हुए शक्ति के प्रयोग से संबंधित न्यायालय पर भारी जिम्मेदारी डालते हैं।एक जैविक साधन के लिए न्यायालय को संविधान की भावना से शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। संविधान का प्रेरक तत्व मूल्यों को साकार करने का आदेश देता है।व्याख्यात्मक प्रक्रिया की महत्वाकांक्षी गतिशीलता भी यही उम्मीद करती है।

41. इस न्यायालय के पास संवैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने की संवैधानिक शक्ति और अधिकार है।न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करने की बहुत पवित्रता है क्योंकि संवैधानिक न्यायालय के पास किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति है यदि संविधान में प्रदान किए गए विधान के अधिकार को ध्यान में रखते हुए विधायिका की क्षमता की कमी है या यदि कोई प्रावधान किसी भी मौलिक अधिकार या किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसके खिलाफ चलता है या यदि कोई प्रावधान स्पष्ट रूप से मनमाना है।42. जब हम न्यायिक समीक्षा की बात करते हैं, तो

न्यायिक संयम की अवधारणा के प्रति जीवित रहना भी आवश्यक है।न्यायिक समीक्षा का कर्तव्य जो संविधान ने न्यायपालिका को दिया है, वह निर्बाध नहीं है; यह न्यायिक संयम की अवधारणा के भीतर आता है।न्यायिक संयम के सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि न्यायाधीशों को अपनी शक्ति की सीमाओं के भीतर रहते हुए मामलों का फैसला करना चाहिए।न्यायाधीशों से अपेक्षा की जाती है कि वे संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार किसी भी कानून या संविधान के किसी भी प्रावधान की व्याख्या करें।

43. एस. सी. चंद्र बनाम झारखंड राज्य में [एस. सी. चंद्र बनाम झारखंड राज्य, (2007) 8 एस. सी. सी. 279:(2007) 2 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 897], यह निर्णय दिया गया है कि न्यायपालिका को संयम बरतना चाहिए और आम तौर पर विधायी क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए।इस संबंध में, सुरेश सेठ बनाम इंदौर नगर निगम मामले में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का संदर्भ।[सुरेश सेठ बनाम इंदौर नगर निगम।, (2005) 13 एस. सी. सी. 287] काफी शिक्षाप्रद है।उक्त मामले में, इस न्यायालय के समक्ष एम. पी. नगर निगम अधिनियम, 1956 में उचित संशोधन के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था।इस निवेदन को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि यह विशुद्ध रूप से नीति का मामला है जो निर्वाचित 87 लोगों के लिए है।

जनता के प्रतिनिधियों को निर्णय लेना है और इस संबंध में न्यायालय द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।न्यायालय ने आगे कहा कि यह न्यायालय विधायिका को किसी विशेष प्रकार का अधिनियम बनाने के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकता है। इस संदर्भ में, न्यायालय ने कहा कि हमारी संवैधानिक योजना के तहत, संसद और विधानसभाएं कानून बनाने के लिए संप्रभु शक्ति का प्रयोग करती हैं और कोई भी बाहरी शक्ति या प्राधिकरण किसी विशेष प्रकार का कानून बनाने के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकता है।ऐसा अभिनिर्धारित करते हुए, न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय कर्मचारी कल्याण संघ बनाम भारत संघ [सर्वोच्च न्यायालय कर्मचारी कल्याण संघ बनाम भारत संघ, (1989) 4 एस. सी. सी. 187 में निर्णय का उल्लेख किया:1989 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 569] जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कोई भी न्यायालय किसी विधायिका को किसी विशेष कानून को लागू करने का निर्देश नहीं दे सकता है और इसी तरह जब कोई कार्यकारी प्राधिकरण विधायिका के प्रत्यायोजित प्राधिकरण के अनुसार अधीनस्थ कानून के माध्यम से विधायी शक्ति का प्रयोग करता है, तो ऐसे कार्यकारी प्राधिकरण को एक कानून बनाने के लिए नहीं कहा जा सकता है जिसे उसे प्रत्यायोजित प्राधिकरण के तहत करने का अधिकार दिया गया है।

44. हाल ही में, जनगणना आयोग में।बनाम आर. कृष्णमूर्ति [जनगणना आयुक्त।बनाम आर. कृष्णमूर्ति, (2015) 2 एससीसी 796:(2015) 1 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 589], न्यायालय, प्रीमियम ग्रेनाइट बनाम टी. एन. राज्य का उल्लेख करने के बाद। [प्रीमियम ग्रेनाइट बनाम टी. एन. राज्य, (1994) 2 एस. सी. सी. 691], एम. पी. तेल निष्कर्षण बनाम एम. पी. राज्य [एम. पी. तेल निष्कर्षण बनाम एम. पी. राज्य, (1997) 7 एस. सी. सी. 592], एम. पी. राज्य बनाम एम. पी.नर्मदा बचाओ आंदोलन [एम. पी. बनाम राज्य]नर्मदा बचाओ आंदोलन (2011) 7 एस. सी. सी. 639:(2011) 3 एस. सी. सी. (सिविल) 875] और पंजाब राज्य बनाम राम लुभाया बग्गा [पंजाब राज्य बनाम राम लुभाया बग्गा, (1998) 4 एस. सी. सी. 117:1998 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 1021] ने कहाः(आर. कृष्णमूर्ति मामला [जनगणना आयुक्त।बनाम आर. कृष्णमूर्ति, (2015) 2 एससीसी 796:(2015) 1 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 589], एस. सी. सी. पी.809, पैरा 33) "33। कानून की उपरोक्त घोषणा से, यह दोपहर के रूप में स्पष्ट है कि यह जांच शुरू करना अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि क्या कोई विशेष सार्वजनिक नीति बुद्धिमान और स्वीकार्य है या क्या एक बेहतर नीति विकसित की जा सकती है।अदालत केवल तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब बनाई गई नीति पूरी तरह से लापरवाह हो या कारणों से सूचित न हो या पूरी तरह से मनमाना हो और संविधान के अनुच्छेद 14 की मूल आवश्यकता का बचाव न हो।जैसा कि अक्सर कहा जाता है, कुछ मामलों में राय और राय हो सकती है।

लेकिन न्यायालय से किसी राय पर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में बैठने की अपेक्षा नहीं की जाती है।"

45. इस मोड़ पर, हम समझते हैं कि यह स्पष्ट रूप से कहना उचित है कि न्यायिक प्रतिबंध ऐसा नहीं हो सकता और न ही होना चाहिए कि यह न्यायिक त्याग और न्यायिक निष्क्रियता के बराबर हो।न्यायपालिका उस गंभीर कर्तव्य का त्याग नहीं कर सकती जो संविधान ने अपने कंधों पर रखा है अर्थात संविधान के भाग III के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए।जब व्यक्तियों के मौलिक अधिकार दांव पर होते हैं तो संवैधानिक अदालतें गुमनामी में नहीं बैठ सकती हैं।हमारे संविधान ने व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के अवैध उल्लंघन के खिलाफ रक्षक के रूप में कार्य करने के लिए संवैधानिक न्यायालयों की कल्पना की है।संविधान ने अपने तत्वावधान में संवैधानिक न्यायालयों को व्यापक शक्तियों से लैस किया है, जिनका उपयोग अदालतों को बिना किसी हिचकिचाहट या आशंका के करना चाहिए, जब व्यक्तियों के मौलिक अधिकार खतरे में हों।उक्त पहलू पर स्पष्टीकरण देते हुए, यह न्यायालय विरेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में है। [विरेन्द्र सिंघव।उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 447] ने कहा हैः(ए. आई. आर. पी. 454, पैरा 34)

“34. ... हमारे ऊपर संविधान का पूरा कवच है और हम अब से इसके प्रबुद्ध तरीकों से चलते हैं, इसकी रक्षात्मक दृष्टि की छाती पहनते हैं और इसकी प्रेरणा की तलवार को उड़ाते हैं।"46. मौलिक अधिकारों की व्याख्या करते समय, संवैधानिक न्यायालयों को यह याद रखना चाहिए कि जब भी कोई अवसर आता है, अदालतों को जीवंत भावना और जोश का संचार करने के उद्देश्य से एक उदार दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है ताकि मौलिक अधिकार पर्याप्त न हों।जब हम ऐसा कहते हैं, तो यह नहीं समझा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों की व्याख्या करते समय, संवैधानिक न्यायालयों को पूर्ववर्ती सिद्धांतों से पूरी तरह से अलग होना चाहिए, लेकिन यह संवैधानिक न्यायालयों का दायित्व है कि वे संविधान द्वारा दिए गए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की दृढ़ता से रक्षा करने के लिए प्रहरी के रूप में कार्य करें।इस संदर्भ में इस न्यायालय के कर्तव्य का वर्णन के. एस. श्रीनिवासन बनाम भारत संघ [के. एस. श्रीनिवासन बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 419] में उपयुक्त रूप से किया गया है जिसमें कहा गया थाः(आकाशवाणी पृष्ठ 433, पैरा 50)

“50. ... मैं केवल एक आदमी को देख सकता हूं जिसके साथ अन्याय किया गया है और मैं एक स्पष्ट रास्ता देख सकता हूं।मैं इसे ले जाऊंगा।"

लद्दाख का संघ क्षेत्र बनाम जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन [अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जे.] 90

89

47. इस तरह का दृष्टिकोण संविधान के अनुच्छेद 32 के मामले में अधिक उत्साह के साथ लागू होता है जिसे डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने "संविधान की आत्मा-इसका दिल-सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद" के रूप में वर्णित किया है।अनुच्छेद 32 को विशेष दर्जा प्राप्त है और इसलिए, अनुच्छेद 32 के तहत मामलों में प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाना इस न्यायालय का दायित्व है।यह संविधान के तहत इस न्यायालय के कर्तव्य के अनुरूप होगा, यानी व्यक्तियों के अपरिहार्य मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करना।"

(जोर दिया गया) 19.पूर्व में उल्लिखित टिप्पणियां संवैधानिक न्यायालयों से अपेक्षित टिप्पणियों के साथ पूरी तरह से मेल खाती हैं।वे केवल संविधान के अनुच्छेद 32 या 226 तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि एक प्रकार का ताबीज निर्धारित करते हैं।

20. विद्वान ए. एस. जी. ने यह भी प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी स्वतंत्र निर्णय लेने के हकदार थे।यह विद्वत खंड पीठ के समक्ष उनके रुख के खिलाफ है।अगर हम इससे सहमत होते हैं, तो स्पष्ट महत्व यह होगा कि अपीलकर्ताओं को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की आवश्यकता थी।जैसा कि विवादित निर्णय के पैराग्राफ 5 और 11 में उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग प्रतीकों को आवंटित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, न कि चुनाव प्राधिकरण।तब अपीलार्थियों के स्टैंड बदलने का क्या कारण था?जब आक्षेपित निर्णय के अनुच्छेद 13 में दिए गए निर्णय के साथ पढ़ा जाता है तो अपीलार्थियों के कार्य हमारे दिमाग में कोई संदेह नहीं छोड़ते हैं, कि इस न्यायालय को मध्यस्थता करने के लिए मजबूर करने वाली परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं।लेकिन, आइए एक पल के लिए विचार करें कि अपीलकर्ता, जैसा कि अब प्रस्तावित किया जाना चाहते हैं, एक स्वतंत्र निर्णय पर पहुंचने के हकदार थे।फिर भी, ऐसा निर्णय सनकी, मनमाना या मनमौजी नहीं हो सकता था।यह अनिवार्य रूप से होना चाहिएः(क) वैध विवेकाधिकार के अनुसार; (ख) उचित, और; (ग) न्यायसंगत और न्यायसंगत।न्यायालय इंगित करेगा कि परिचर तथ्यों में एक वास्तविक अनुरोध को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता था कि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था, जब इस तरह के अनुरोध को (i) कानून के किसी भी उल्लंघन के बिना स्वीकार किया जा सकता था, और; (ii) संबंधित प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र और क्षमता के भीतर है, और; (iii) किसी अन्य हितधारक को पूर्वाग्रह नहीं देता है, और; (iv) सार्वजनिक हित के खिलाफ विद्रोह नहीं करता है।

21. उच्च न्यायालय, एक संवैधानिक न्यायालय होने के नाते, किसी भी तरह की कल्पना से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत तत्काल मामले में उसके द्वारा जारी किए गए प्रकृति के निर्देश जारी करने से वंचित नहीं है।

जब ऐसा निर्देश किसी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है।उच्च न्यायालय में

त्रिपुरा बनाम तीर्थ सारथी मुखर्जी, (2019) 16 एस. सी. सी. 663, यह न्यायालय

एक दुर्लभ और असाधारण स्थिति में कार्रवाई के लिए निर्देश देने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्ति के बारे में, जो संबंधित प्रावधानों में उल्लेख नहीं है, उसने जवाब दिया था।ध्यान दें और उस पर भरोसा करें

त्रिपुरा उच्च न्यायालय **(**ऊपर**),** ऐश मोहम्मद बनाम हरियाणा राज्य मामले में**,**

2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 736, हमने अभिनिर्धारित कियाः

“24. इसके अलावा, विद्वत सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) ने प्रतिकूल टिप्पणियों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया, फिर भी अपीलार्थी को उसके निष्कासन के लिए आगे बढ़ने की स्वतंत्रता प्रदान की।पंजाब पुलिस नियम, 1934 में इस तरह के किसी भी प्रावधान के अभाव में, विद्वान दीवानी न्यायालय ने यह मानते हुए गलती की कि उसके पास ऐसा करने की शक्ति है।ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद **226** या **227** के तहत एक उच्च न्यायालय या यह न्यायालय अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्दिष्ट कर सकता है।

विशिष्ट ग प्रावधानों के अभाव में भी प्रतिनिधित्व पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश।त्रिपुरा उच्च न्यायालय बनाम तीर्थ सारथी मुखर्जी, (2019) 16 एस. सी. सी. 663 में, सवाल यह उठा कि क्या एक वैधानिक प्रावधान के अभाव में, एक रिट याचिकाकर्ता परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन की मांग कर सकता है?जवाब देते हुए, इस न्यायालय ने कहाः

“20. हालाँकि सवाल यह उठता है कि क्या अधिकार के रूप में पुनर्मूल्यांकन की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होने पर भी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जो न्यायालय को किसी भी संदेह में छोड़ देती हैं।क.

एक रिट आवेदक के साथ कुछ मामलों में गंभीर अन्याय हो सकता है।

परिस्थितियाँ।मामला वहाँ उठ सकता है जहाँ पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है, यह पता चलता है कि सही उत्तर देने के बावजूद कोई अंक नहीं दिए जाते हैं।इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे ऐसे मामले में स्वीकार किया जाना चाहिए जहां उत्तर की शुद्धता के बारे में कोई विवाद न हो।इसके अलावा, यदि कोई संदेह है, तो संदेह का समाधान उम्मीदवार के पक्ष में करने के बजाय परीक्षा निकाय के पक्ष में किया जाना चाहिए।द.

अनुच्छेद **226** के तहत व्यापक शक्ति उपलब्ध बनी रह सकती है

यद्यपि ऐसी स्थिति में पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है जहां एक उम्मीदवार के पास सही उत्तर देने के बावजूद और जिसके बारे में थोड़ा भी संदेह नहीं हो सकता है, उसे गलत उत्तर दिए जाने के रूप में माना जाता है और इसके परिणामस्वरूप उम्मीदवार को किसी भी अंक से वंचित पाया जाता है।

21. यदि दूसरी परिस्थिति को रिट न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए प्रदर्शित किया जाना चाहिए, तो क्या रिट न्यायालय अपने पास शक्ति के विशाल भंडार के बावजूद असहाय हो सकता है?यह एक बात है।

यह कहना कि पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रावधान की अनुपस्थिति उम्मीदवार को अधिकार के रूप में मूल्यांकन के अधिकार का दावा करने में सक्षम नहीं बनाएगी और दूसरा यह कहना कि किसी भी परिस्थिति में जहां पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है, वहां रिट अदालत अपने निस्संदेह प्रयोग करेगी।

संवैधानिक शक्तियाँ?हम दोहराते हैं कि स्थिति केवल असामान्य और असाधारण हो सकती है।"

(जोर दिया गया) "

(बोल्डिंग के माध्यम से हमारे द्वारा दिया गया जोर) 22।किसी भी कार्यालय/निकाय के लिए चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होना आवश्यक है।चुनाव लोकतंत्र के मूल में होते हैं।इस तरह के चुनावों को आयोजित करने/संचालित करने के लिए कानून द्वारा सौंपा गया अधिकार किसी भी बाहरी प्रवाह/विचार से पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए।यह आश्चर्य की बात है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने न केवल आर 1 हल के प्रतीक को अस्वीकार कर दिया, बल्कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा समय पर हस्तक्षेप करने पर भी, न केवल विरोध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, बल्कि केवल समय के साथ एक कारण को विफल करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है।

23. घटनाओं के अनुक्रम में एक विस्तृत गोता लगाना उचित है।आर 1 संबंधित अधिकारियों के समक्ष, प्रतिनिधित्व के माध्यम से, समय पर, और इससे बहुत पहले कि 02/05.08.2023 की अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, 26.07.2023 की अधिसूचना को लागू करके, जिसने इसे हल प्रतीक से इनकार कर दिया था।आर 1 ने ई. सी. आई. का रुख किया था, जिसने दिनांक <आई. डी1> के संचार के माध्यम से राय दी थी कि ई. सी. आई. स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कोई प्रतीक आवंटित नहीं करता है क्योंकि यह संबंधित राज्य चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है।ई. सी. आई. ने कहा कि चूंकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं है और 1968 का आदेश बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश में दलों को मान्यता प्रदान नहीं करता है, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आर 1 को मान्यता नहीं दी जा सकती है।हालाँकि, यह आगे नोट किया गया कि चूंकि आर 1 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में एक मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी है, जिसका आरक्षित प्रतीक हल है, इसलिए वह 1968 के आदेश के पैराग्राफ 103 के तहत रियायत का लाभ उठा सकती है।

3 पहले से ही ऊपर निकाला गया।

24. 15.05.2023 पर, निर्वाचन आयोग ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों के नामों और स्वतंत्र प्रतीकों की सूची को निर्दिष्ट करते हुए अपनी अधिसूचना दिनांक 23.09.2021 को अद्यतन किया, जहां R1 को फिर से एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी गई, हालांकि केवल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए।31.05.2023 पर, R1 ने अपीलकर्ता संख्या 2 को एक राज्य पक्ष के रूप में मान्यता और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सभी चुनावों के लिए इसे हल प्रतीक के आवंटन के लिए एक अभ्यावेदन दिया।अपीलार्थी सं. 2 ने उक्त अभ्यावेदन को टिप्पणी के लिए अपीलार्थी सं. 3 को भेज दिया।07.06.2023 पर, अपीलकर्ता संख्या 3 ने अपीलार्थी संख्या 2 को ईसीआई से संपर्क करने की सलाह दी। 08.06.2023 पर, R1 ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता और हल प्रतीक के आवंटन की मांग की।

25. 07.07.2023 पर, आर 1 ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हल प्रतीक के साथ एक राज्य पक्ष के रूप में मान्यता की मांग करते हुए अपीलकर्ता संख्या 2 का प्रतिनिधित्व किया।अपीलार्थी सं. 2 ने उक्त अभ्यावेदन को 11.07.2023 पर अपीलार्थी सं. 3 को अग्रेषित किया और उस पर टिप्पणी मांगी।12.07.2023 पर, अपीलार्थी संख्या 3 ने अपीलार्थी संख्या 2 को लिखा, जिसमें विधि विभाग की राय शामिल की गई, जो R1 के पक्ष में थी।अपीलकर्ता संख्या 3 ने संकेत दिया कि आर 1 को संबंधित नियमों के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन द्वारा एल. ए. एच. डी. सी. चुनावों के लिए मान्यता दी जा सकती है और आरक्षित प्रतीक प्रदान किया जा सकता है।26. कोई कार्रवाई नहीं की गई और अपीलकर्ता संख्या 3 के दिनांक 12.07.2023 के अनुसार अपीलकर्ता संख्या 2 को कोई आदेश पारित नहीं किया गया।फिर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के चुनाव विभाग ने निर्वाचन आयोग की अधिसूचना दिनांक 15.05.2023 के संदर्भ में आरक्षित और स्वतंत्र प्रतीकों की सूची को अधिसूचित करते हुए 26.07.2023 पर एक अधिसूचना जारी की।आर 1 ने 26.07.2023 की अधिसूचना को चुनौती देते हुए 29.07.2023 पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और एल. ए. एच. डी. सी. के चुनावों के लिए अपने आरक्षित प्रतीक के रूप में हल प्रतीक को अधिसूचित करने के लिए एक आदेश की मांग की। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के चुनाव विभाग ने 5 वें एल. ए. एच. डी. सी., कारगिल के गठन के लिए चुनाव कार्यक्रम को अधिसूचित किया, क्योंकि यह रिट याचिका 05.08.2023 पर लंबित है।ऐसी पृष्ठभूमि में, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित किया गया और विद्वान खंड पीठ द्वारा लागू किया गया।

27. यह न्यायालय चिंता के साथ नोट करता है कि अपीलकर्ता, आर 1 के प्रतिनिधित्व पर बैठे हुए, आगे बढ़े और 02/05.08.2023 पर चुनावों को अधिसूचित किया।हम इस तरह के आचरण की सराहना करने में असमर्थ हैं।समय पर निर्णय लेने की यह लापरवाही बहुत कुछ बोलती है।इस तरह के मामले गंभीर सवाल खड़े करते हैं।

28. मामले पर विस्तार से विचार करने के बाद, न्यायालय वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं रखता है।आर 1 द्वारा हल प्रतीक के आवंटन का अनुरोध वैध और न्यायसंगत था, इस स्पष्ट कारण से कि पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य (जिसमें वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख शामिल था) में, यह एक मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी थी जिसे हल प्रतीक आवंटित किया गया था।पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन और दो नए केंद्र शासित प्रदेशों, अर्थात् केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के निर्माण पर, हालांकि निर्वाचन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एक राज्य पक्ष के रूप में आर 1 को अधिसूचित नहीं किया था, लेकिन यह सरल नहीं हो सकता है कि वास्तविक पृष्ठभूमि में आर 1 इसे हल के प्रतीक के आवंटन का हकदार नहीं था।यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी अनुमोदन और खंडन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे यह न्यायालय स्वीकार नहीं करेगा।

29. वर्तमान मामले में, किसी अन्य हितधारक के साथ इस कारण से कोई टकराव नहीं है कि हल का प्रतीक न तो किसी राष्ट्रीय या राज्य पक्ष को विशेष रूप से आवंटित प्रतीक है और न ही स्वतंत्र प्रतीकों की सूची में दिखाए गए प्रतीकों में से एक है।इस प्रकार, आर 1 को इस तरह का प्रतीक दिए जाने में कोई बाधा नहीं थी और न ही है।यह पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य में और यहां तक कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए भी आर 1 के लिए आरक्षित प्रतीक के रूप में हल प्रतीक की तथ्यात्मक सेटिंग में भी स्पष्ट किया गया है, जैसा कि अब मौजूद है, जहां वही प्रतीक इसे आवंटित किया गया है।

30. अपीलार्थियों के लिए विद्वान ए. एस. जी. का यह तर्क कि हल प्रतीक आवंटित नहीं किया जा सकता है, न तो किसी कारण से समर्थित किया गया है और न ही इस तरह के अनुदान में कोई कानूनी बाधा दिखाई गई है।चुनाव के संचालन के लिए बनाए गए किसी भी नियम में, प्रतीकों के आवंटन से संबंधित, कुछ भी विपरीत नहीं होने पर, 1968 के आदेश के प्रावधानों पर, कम से कम, समान प्रकृति की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में, सुरक्षित रूप से भरोसा किया जा सकता है।इस प्रकार, पैराग्राफ 9,10,10 (ए) और 12 का सामंजस्यपूर्ण अध्ययन स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि 1968 के आदेश की शर्तों के तहत, आर 1 का अनुरोध औचित्य से रहित नहीं है।पुनरावृत्ति की कीमत पर, न्यायालय यह संकेत देगा कि इस न्यायालय को यह इंगित करने के लिए कुछ भी ठोस नहीं दिखाया गया है कि हल प्रतीक का आवंटन किसी भी तरह से उल्लंघन होगा या सार्वजनिक हित के खिलाफ जाएगा।

31. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान ए. एस. जी. द्वारा प्रचार किया गया एक अन्य प्रमुख मुद्दा यह है कि चुनाव के कारण आर 1 को कोई राहत नहीं दी जाए।

प्रक्रिया के अंतिम चरण में पहुँचने के कारण, दुर्भाग्य से, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसे अस्वीकार कर दिया गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश और विद्वान खंड पीठ के क्रमिक आदेशों का पालन नहीं करने के लिए, जो दोनों समय पर पारित किए गए थे, जैसे कि अधिसूचित चुनाव कार्यक्रम को बाधित/विलंबित नहीं करने के लिए, आंखें खुली रखते हुए, अपीलकर्ताओं को यह अनुरोध करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि इस अंतिम मोड़ पर हमारे द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।32. न्यायालय स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर देगा कि किसी भी वादी को थोड़ा भी संदेह या धारणा (बल्कि, एक गलत धारणा) नहीं होनी चाहिए कि केवल प्रणालीगत देरी या मामले को न्यायालयों द्वारा नहीं उठाए जाने के कारण कारण विफल हो जाएगा, और न्यायालय संबंधित पक्ष को न्याय सुनिश्चित करने में असहाय हो जाएगा।यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि यह न्यायालय घड़ी को पीछे भी मोड़ सकता है, अगर स्थिति इस तरह के गंभीर उपायों की आवश्यकता होती है।इस न्यायालय की शक्तियाँ, यदि आवश्यक हो, तो पूर्व की स्थिति को बहाल करने के लिए भी किसी संदेह के दायरे में नहीं हैं।माननीय खेहर, जे. (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) द्वारा प्रमुख राय में दी गई राहत, अन्य 4 विद्वान न्यायाधीशों द्वारा सहमति व्यक्त की गई,

विधान सभा**, (2016) 8** एस**.** सी**.** सी**. 1** इस पहलू पर पर्याप्त है।हम जानते हैं।

सुभाष देसाई बनाम प्रधान सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 607 में 5-न्यायाधीशों की पीठ ने नबाम को संदर्भित किया है।

रेबिया (ऊपर) एक बड़ी बेंच के लिए।हालांकि, बड़ी पीठ को भेजे गए प्रश्न यथास्थिति को वापस लाने की शक्ति से विमुख नहीं होते हैं।इसके अलावा, यह तय किया गया है कि केवल एक बड़ी पीठ का संदर्भ परेशान नहीं करता है

घोषित कानून।(2009) 13 एस. सी. सी. 608 में, (2009), (2009) 13 एस. सी. सी. 608, (2009) 13 एस. सी. सी. 608, (2009) 13 एस. सी. सी. 608, (2009) 13 एस. सी. सी. 608, (2009) 13 एस. सी. सी. 608, (2009) 13 एस. सी. सी. 608, (2009) 13 एस. सी. सी. 608, (2009) 13 एस. सी. सी. 608, (2009) 13 एस. सी. सी. 608, (2009) 13 एस. सी. सी. 608, (2009) 13 एस. सी. सी. 608, (2009) 13 एस. सी. सी. 608, (2009) 13 एस. सी. सी. 608,

2-न्यायाधीशों की पीठ ने कहाः

“15. भले ही विद्वान वकील द्वारा जो तर्क दिया गया है वह सही है, इस स्तर पर उक्त प्रश्न में जाना हमारे लिए नहीं है; यहाँ गवाहों की प्रतिपरीक्षा हुई थी।न्यायालय ने इस संतोष पर पहुंचने के उद्देश्य से उपलब्ध सामग्री पर विचार किया था कि संहिता की धारा 319 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए एक मामला बनाया गया था।केवल इसलिए कि मोहम्मद में निर्णय के एक हिस्से की शुद्धता।शफी [(2007) 14 एससीसी 544:(2009) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 889:(2007) 4 एससीआर 1023:(2007) 5 स्केल 611] पर एक अन्य पीठ द्वारा संदेह किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें बड़ी पीठ, विशेष रूप से 95 के फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

लद्दाख का संघ क्षेत्र बनाम जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन [अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जे.] सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 12 एस. सी. आर.

जब वही अपीलार्थियों की सहायता करने के बजाय उनके विवाद के विपरीत चलता है।"

(जोर दिया गया)

33. अशोक सदरंगनी बनाम भारत संघ, (2012) 11 एस. सी. सी. 321 में, एक अन्य

2-न्यायाधीश पीठ ने संकेत दियाः

“29. जैसा कि हर्भजन सिंह मामले में संकेत दिया गया था [हर्भजन सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2009) 13 एससीसी 608: (2010) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1135], एक बड़ी पीठ के लिए एक संदर्भ के लंबित होने का मतलब यह नहीं है कि एक ही मुद्दे से जुड़ी अन्य सभी कार्यवाहियों पर तब तक रोक रहेगी जब तक कि संदर्भ में निर्णय नहीं दिया जाता।ज्ञान सिंह मामले [(2010) 15 एस. सी. सी. 118] में दिए गए संदर्भ के कारण हमें हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है।जब तक बार में उद्धृत निर्णयों को किसी भी तरह से संशोधित या परिवर्तित नहीं किया जाता है, तब तक वे निर्णय लेते रहते हैं।"

(जोर दिया गया) 34।दूसरी ओर, जब यह उचित समझा गया कि इस न्यायालय की अन्य पीठों, उच्च न्यायालयों और नीचे के न्यायालयों/न्यायाधिकरणों को अपने हाथों में रखा जाए, तो उतने ही शब्दों में संकेत दिया गया, जितना कि हरियाणा राज्य में हुआ था।

बनाम जी**.** डी**.** गोयनका पर्यटन निगम लिमिटेड**, (2018) 3** एस**.** सी**.** सी**. 585 4:**

“9. इन सब को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि यह उचित होगा यदि अंतरिम में और एक बड़ी पीठ को एक संदर्भ (यदि बिल्कुल भी) देने पर एक अंतिम निर्णय लंबित है, तो उच्च न्यायालयों से अनुरोध किया जाए कि वे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 की व्याख्या या उससे संबंधित किसी भी मामले पर विचार न करें।महासचिव तत्काल इस आदेश को प्रत्येक उच्च न्यायालय के महापंजीयक को सूचित करेंगे ताकि हमारे अनुरोध का पालन किया जा सके।10. जहां तक इस न्यायालय में लंबित मामलों का संबंध है, हम इसी तरह के मामलों से निपटने वाली संबंधित पीठों से अनुरोध करते हैं कि वे सुनवाई को तब तक स्थगित कर दें जब तक कि इस मुद्दे पर किसी न किसी तरह से निर्णय नहीं दिया जाता कि मामला किसी बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए या नहीं।इसके अलावा

4 इस संदर्भ का उत्तर अंततः इंदौर विकास प्राधिकरण v में दिया गया।

मनोहरलाल**, (2020) 8** एससीसी **129**।

96

कुछ भी हो, विचार को स्थगित करने से वादकारी पक्षों को असुविधा से बचा जा सकेगा, चाहे वह राज्य हो या व्यक्ति।"

(जोर दिया गया) 35।हम अपने सामने देख रहे हैं कि उच्च न्यायालयों के निर्णय और आदेश इस आधार पर मामलों का निर्णय नहीं कर रहे हैं कि इस विषय पर इस न्यायालय का प्रमुख निर्णय या तो एक बड़ी पीठ को भेजा गया है या उससे संबंधित एक समीक्षा याचिका लंबित है।हमें ऐसे उदाहरण भी मिले हैं जिनमें उच्च न्यायालयों ने इस न्यायालय के फैसलों को इस आधार पर मानने से इनकार कर दिया है कि बाद में एक समन्वय पीठ ने इसकी शुद्धता पर संदेह किया है।इस संबंध में, हम कानून में स्थिति निर्धारित करते हैं।हम यह पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं कि उच्च न्यायालय कानून के आधार पर मामलों का फैसला करने के लिए आगे बढ़ेंगे।यह खुला नहीं है, जब तक कि इस न्यायालय द्वारा विशेष रूप से निर्देश नहीं दिया जाता है, किसी संदर्भ या समीक्षा याचिका के परिणाम की प्रतीक्षा करने के लिए, जैसा भी मामला हो।यह उच्च न्यायालय के लिए भी खुला नहीं है कि वह यह कहते हुए किसी फैसले का पालन करने से इनकार करे कि उस पर बाद की समन्वय पीठ द्वारा संदेह किया गया है।किसी भी मामले में, जब इस न्यायालय की समान संख्या वाली पीठों द्वारा मिश्रित निर्णयों का सामना करना पड़ता है, तो यह पहले वाला निर्णय होता है जिसका पालन उच्च न्यायालयों द्वारा किया जाता है, जैसा कि राष्ट्रीय न्यायालय में 5-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।

बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी**, (2017) 16** एससीसी **680 5.**द**.**

उच्च न्यायालय, निश्चित रूप से, अपने समक्ष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करेंगे।

36. हम इस बात से अवगत हैं कि कुछ घोषणाओं के माध्यम से, जिनमें से कुछ का इस निर्णय में उल्लेख किया गया है, न्यायालय ने संसद, राज्य विधानसभाओं और नगर पालिकाओं के चुनावों से संबंधित सिद्धांतों को अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित किया।संकेत के रूप में, निर्णयों की व्याख्या हमेशा संबंधित विशिष्ट मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।हमने संविधान के अनुच्छेद 243-ओ, 243 जेडजी और 329 को देखा है और निष्कर्ष निकाला है कि सिद्धांत रूप में भी उच्च न्यायालय पर कोई रोक नहीं है।स्पष्ट रूप से विचार किए गए और जिन निर्णयों पर विचार किया गया, उनके अलावा, इससे पहले और इसके बाद, हमने अपनी इच्छा से, अन्य बातों के साथ-साथ, एन. पी. पोन्नुस्वामी मामले में इस न्यायालय की अलग-अलग पीठ-ताकत के निर्णयों का अध्ययन किया है।

v रिटर्निंग ऑफ़िसर**,** नामक्कल निर्वाचन क्षेत्र**, 1952** एस**.** सी**.** आर**. 218 7;** दुर्गा

5 इस बिंदु पर रिपोर्ट में पैराग्राफ 27 और 28 देखें।

6 संजय दुबे बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2023 आई. एन. एस. सी. 519 @अनुच्छेद 18।

7 जहाँ न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "इस परिच्छेद में चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि शब्द 97

लद्दाख का संघ क्षेत्र बनाम जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन [अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जे.] 98

शंकर मेहता बनाम ठाकुर रघुराज सिंह**, (1955) 1** एस**.** सी**.** आर**. 267;** हरि विष्णु कामत बनाम सैयद अहमद इशाक**, (1955) 1** एस**.** सी**.** आर**. 1104;** नारायण भास्कर खरे **(**डॉ**.)** बनाम भारत का चुनाव आयोग**, 1957** एस**.** सी**.** आर**. 1081;** मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त**, (1978) 1** एस**.** सी**.** सी**. 405;** लक्ष्मी चरण सेन बनाम ए**.** के**.** एम**.** हसन उज़्ज़मान**, (1985) 4** एस**.** सी**.** सी**. 689;** इंद्रजीत बरुआ बनाम भारत का चुनाव आयोग**, (1985) 4** एस**.** सी**.** सी**. 722;** भारत का चुनाव आयोग बनाम शिवाजी**, (1988) 1** एस**.** सी**.** सी**. 277;** दिग्विजय मोते बनाम भारत संघ**, (1993) 4** एस**.** सी**.** सी**. 175 8;** बोद्दुला कृष्णैया बनाम राज्य चुनाव

फौजिया इम्तियाज शेख, (2021) 8 एस. सी. सी. 401 9।जाँच पर, यहाँ मामले की समयसीमा और तथ्यों के साथ संयोजन में, हमें यकीन है कि उच्च न्यायालय लड़खड़ाया नहीं।

37. हम संकेत देंगे कि न्यायालयों द्वारा एक सामान्य सिद्धांत के रूप में, कुछ निर्णयों में कुछ विस्तार से निर्धारित प्रतिबंध, चुनाव मामलों में इस हद तक कि एक बार अधिसूचना जारी होने और चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद, संवैधानिक न्यायालय, सामान्य परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक हैं, एक विवादास्पद मुद्दा नहीं है।लेकिन जहां मुद्दे सामने आते हैं, जो अन्यायपूर्ण कार्यकारी कार्रवाई का संकेत देते हैं या उम्मीदवारों और/या राजनीतिक दलों के बीच बिना किसी न्यायसंगत या समझदार आधार के एक समान खेल को बाधित करने का प्रयास करते हैं, तो संवैधानिक न्यायालयों की आवश्यकता होती है, न कि वे कर्तव्यबद्ध हैं, हस्तक्षेप करने के लिए।कारण कि न्यायालयों के पास आम तौर पर

"चुनाव "का उपयोग पूरी प्रक्रिया के संदर्भ में उचित रूप से किया जा सकता है और किया गया है जिसमें कई चरण होते हैं और कई चरण शामिल होते हैं, जिनमें से कुछ का प्रक्रिया के परिणाम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।", संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) के संबंध में।

8 जहां, निर्वाचन आयोग की अनुच्छेद 324 शक्तियों को प्रस्तावित करते हुए, इस न्यायालय ने कहा, "हालांकि, यह होना चाहिए

कहा कि यह शक्ति बेलगाम नहीं है।सार्वजनिक कानून अधिकारों को लागू करने वाले अपने कार्यों का प्रयोग करने वाले सांविधिक निकाय पर न्यायिक समीक्षा अभी भी अनुमत होगी।"

9 जहाँ विद्वान 3-न्यायाधीश पीठ ने अपने समक्ष मुद्दे (ओं) के लिए प्रासंगिक उदाहरणों पर विचार किया है।

एक व्यावहारिक दृष्टिकोण बनाए रखना यह सुनिश्चित करने के एकमात्र हितकारी उद्देश्य के साथ है कि चुनाव, जो लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति हैं, बिना किसी देरी या दुर्बलता के अपने तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाए।पीड़ित वादी को उचित समय 10 पर उचित सहायता प्रदान करने के संदर्भ में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही काम किया।पूरी निष्पक्षता में, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि विद्वान ए. एस. जी. ने, दलीलों के दौरान, उच्च न्यायालय की अपने द्वारा दिए गए निर्देशों को जारी करने की शक्ति का विरोध नहीं किया, सिवाय इसके कि यह अपीलार्थियों को उनके विवेक से वंचित करने के बराबर है।जैसा कि पहले कहा गया है, हम संतुष्ट हैं कि 1968 के आदेश को देखते हुए, अपीलार्थियों का विवेकाधिकार बेलगाम नहीं था, बल्कि यह 1968 के आदेश द्वारा निर्देशित था।

38. विद्वान एकल न्यायाधीश के तर्क, जिसे विद्वान खंड पीठ द्वारा आगे स्पष्ट किया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आर 1 द्वारा मांगी गई राहत को प्रदान करने की आवश्यकता थी और तदनुसार, इसे उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया था।जिस कठोर कारक ने हमें घूर कर देखा वह यह है कि रिट याचिका के माध्यम से, आर 1 ने राहत के लिए प्रथम उदाहरण (विद्वान एकल न्यायाधीश) के न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जो अंततः उनके कारण पाए गए हैं, और अपीलीय न्यायालय (विद्वान खंड पीठ) द्वारा बरकरार रखा गया है।यह अपीलार्थी ही हैं, जिन्हें उच्च न्यायालय के आदेशों के सरासर गैर-अनुपालन के आधार पर, बिना किसी रोक के, वर्तमान उलझन के लिए अकेले जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।इन कठोर तथ्यों को व्यापक रूप से अन्य काल्पनिक परिदृश्यों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, जिसमें तथ्य पूरी तरह से व्यावहारिक दृष्टिकोण की गारंटी दे सकते हैं।

39. यह मामला न्यायालय को चुनाव से संबंधित अपनी शक्तियों का मनमाने ढंग से उपयोग करने वाले संबंधित अधिकारियों के छिपे हुए खतरे के व्यापक पहलू पर ध्यान देने के लिए विवश करता है और उसके बाद, आत्मसंतुष्ट होने के बजाय अति-मनगढ़ंत होने के कारण, कि न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेंगे।गलत धारणा यह है कि अंतिम घटना में, चुनाव समाप्त होने के बाद, जब इस तरह के निर्णयों/कार्यों को चुनौती दी जाती है, तो समय के साथ अपरिवर्तनीय परिणाम सामने आते हैं, और कोई ठोस राहत नहीं दी जा सकती है-यह गलत धारणा है।हालाँकि, अधिकारियों द्वारा आचरण जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है, न्यायालय को एक व्यापक पुनर्विचार करने के लिए गंभीर रूप से मजबूर कर सकता है, कि क्या स्व-लगाए गए प्रतिबंध

10 बी. एस. हरि कमांडेंट बनाम भारत संघ, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 413 @पैरा 50।

अधिक उदार व्याख्या की आवश्यकता हो सकती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय न केवल किया जाता है, बल्कि किया जाता हुआ भी देखा जाता है, और किसी भी दुस्साहस के प्रयास को शुरू में ही समाप्त करने के लिए समय पर किया जाता है। हम अवमानना कार्यवाही के लंबित होने को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थियों पर आगे टिप्पणी करने से बचते हैं।

40. जैसा कि हमने पूर्वगामी अनुच्छेदों में स्पष्ट किया है, यहाँ उत्पन्न होने वाली स्थिति, एक तरह से, अभूतपूर्व है।पीड़ा की भावना के साथ, यह कहना गलत नहीं होगा कि तत्काल निर्णय अपीलार्थियों द्वारा स्वयं आमंत्रित किया गया है।उच्च न्यायालय के आदेश, हमारी सुविचारित राय में, चुनावी प्रक्रिया की सहायता में थे, और इसमें कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।

41. विद्वान ए. एस. जी. का यह निवेदन कि आर 1 का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी व्यक्ति ने अंतिम तिथि की अधिसूचना तक अपने नामांकन पत्र का नेतृत्व नहीं किया था, अनुचित है, क्योंकि मौजूदा स्थिति में, आर 1 के साथ संबंध रखने वाला कोई भी उम्मीदवार/प्रतिनिधि फॉर्म नहीं भर सकता था क्योंकि हल का प्रतीक न तो एक आरक्षित प्रतीक था और न ही एक स्वतंत्र प्रतीक था, और इस प्रकार, नामांकन पत्र भरने पर किसी भी उम्मीदवार द्वारा इसका चयन नहीं किया जा सकता था।गंभीर परिणाम यह था कि एल. ए. एच. डी. सी. के चुनाव से ठीक पहले, एक राजनीतिक दल के रूप में आर 1 की पहचान को ग्रहण लगा दिया गया था, जहां यह सत्ता में मौजूद पार्टी थी।

42. इस न्यायालय ने पहले एक चुनावी प्रणाली में प्रतीक के महत्व पर विचार किया है, विशेष रूप से एक राजनीतिक दल को आवंटित।श्री में 3-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर ध्यान देते हुए

सादिक अली बनाम भारत निर्वाचन आयोग**, नई दिल्ली, (1972) 4** एस**.** सी**.** सी**.**

664, ऑल पार्टी हिल लीडर्स में **3** विद्वान न्यायाधीशों की एक और पीठ '

सम्मेलन, शिलांग बनाम कैप्टन डब्ल्यू ए संगमा, (1977) 4 एस. सी. सी. 161 पुट

यह इस प्रकार हैः

"29. चुनाव कराने के उद्देश्य से, प्रतीक का आवंटन उस देश में एक प्रमुख स्थान होगा जहां निरक्षरता अभी भी बहुत अधिक है।अनुभव से यह पाया गया है कि अपनी पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रतीक एक अमूल्य सहायता साबित हुआ है।इसके अलावा, जिस तरह लोग अपने देश के लिए सम्मान, गौरव और देशभक्ति के गौरव की भावना विकसित करते हैं, उसी तरह एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीक के लिए बहुत उत्साह और भावनाएं उत्पन्न होती हैं।यह विशेष रूप से एक संसदीय लोकतंत्र में होता है जो दलगत आधार पर आयोजित किया जाता है।

लोग एक समय के बाद खुद को प्रतीक और एफ. एल. ए. जी. के साथ पहचानते हैं।ये महान एकीकरण प्रतीक हैं जिन्हें अचानक स्वीकार नहीं किया जा सकता है।11 "

(जोर दिया गया) 43।श्री सादिक अली (ऊपर) पर निर्भरता रखते हुए, 2-न्यायाधीशों की पीठ

संक्षेप में, एडापड्डी के पलानीस्वामी बनाम टीटीवी दिनाकरन में,

(2019) 18 एससीसी **219:**

"39. हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक राजनीतिक समूह के लिए एक सामान्य प्रतीक होने के पुतले को सादिक अली बनाम में रेखांकित किया गया है।

भारत का चुनाव आयोग [सादिक अली बनाम भारत का चुनाव आयोग, (1972) 4 एस. सी. सी. 664]उक्त निर्णय के पैरा 21 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः(एस. सी. सी. पीपी. 674-75)

"21. ... यह सर्वविदित है कि मतदाताओं का भारी बहुमत अनपढ़ है।यह महसूस किया गया कि निरक्षरता की बाधा को देखते हुए**,** अनपढ़ मतदाताओं के लिए अपनी पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में अपना वोट डालना संभव नहीं हो सकता है**,** जब तक कि मतपत्र पर ही कुछ सचित्र प्रतिनिधित्व न हो**,** जिससे ऐसे मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार की पहचान कर सकें।

तदनुसार प्रतीकों का उपयोग किया गया।प्रतीक या प्रतीक भारत के चुनाव कानून का कोई विशिष्ट रूप नहीं हैं।**...** इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव की प्रक्रिया यथासंभव वास्तविक और निष्पक्ष हो और कोई भी मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में अपना वोट डालने में किसी भी बाधा से पर्याप्त न हो।हालांकि प्रतीकों की उत्पत्ति का उद्देश्य सीमित था**,** समय के साथ प्रत्येक राजनीतिक दल के प्रतीक का बहुत मूल्य बढ़ गया क्योंकि अधिकांश मतदाता चुनाव के समय राजनीतिक दल को उसके प्रतीक से जोड़ते थे।**...”**

(जोर दिया गया) और फिर से पैरा 40 और 41 में इसे इस प्रकार देखा गया हैः(सादिक अली मामला [सादिक अली बनाम भारत का चुनाव आयोग, (1972) 4 एस. सी. सी. 664],पृ. 682)

11 एस. सी. सी. ऑनलाइन पर उपलब्ध एस. सी. सी. संस्करण में दिखाई देने के रूप में बनाए रखा गया; पढ़ा जाना चाहिए

जैसा कि 'एफ. एफ. एसीड'।

लाद्दाख का संघ क्षेत्र बनाम जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन [अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जे.] 102

101

“40. ... इसलिए, यह माना जाएगा कि आयोग को सिंबल के आवंटन के मामले में उपर्युक्त नियमों द्वारा पूर्ण शक्तियों से लैस किया गया है।... यदि आयोग को प्रतीकों के आवंटन के मामले में और उसके संबंध में निर्देश जारी करने के लिए निहित पूर्ण शक्तियों का प्रभावी ढंग से प्रयोग करने से अक्षम नहीं किया जाना है, तो यह स्पष्ट रूप से आवश्यक है कि आयोग को दो प्रतिद्वंद्वी दावेदारों द्वारा किसी राजनीतिक दल के प्रतीक के आवंटन के लिए दावा किए जाने की स्थिति में विवाद को निपटाने की शक्ति होनी चाहिए।... पैरा 15 का उद्देश्य प्रतीक आदेश के मुख्य उद्देश्यों और उद्देश्यों को प्रभावी बनाना और उन्हें कम करना है।पैराग्राफ को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि दो या दो से अधिक समूहों के बीच एक राजनीतिक दल में विवाद उत्पन्न होने के कारण, राजनीतिक दल के लिए आरक्षित प्रतीक के आवंटन से संबंधित प्रतीक आदेश की पूरी योजना शून्य पर सेट नहीं की गई है।... आयोग संविधान द्वारा निर्मित एक प्राधिकरण है और अनुच्छेद 324 के अनुसार, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचक नामावली का पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालय के लिए चुनाव आयोग में निहित होंगे।यह तथ्य कि एक राजनीतिक दल के प्रतीक के आवंटन के लिए दो प्रतिद्वंद्वी समूहों के बीच विवाद को हल करने की शक्ति इस तरह के उच्च प्राधिकरण में निहित है, एक धारणा को जन्म देगा, हालांकि खंडन योग्य है, और एक गारंटी प्रदान करता है, हालांकि पूर्ण नहीं लेकिन काफी हद तक, कि शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन एक निष्पक्ष और उचित तरीके से प्रयोग किया जाएगा।

41. ... जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 324 में प्रावधान है कि चुनावों का पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होगा।...”

(जोर दिया गया) 40।सादिक अली [सादिक अली बनाम भारत निर्वाचन आयोग, (1972) 4 एस. सी. सी. 664] में इस निर्णय का पालन कन्हियालाल उमर बनाम आर. के. त्रिवेदी [कन्हियालाल उमर बनाम आर. के. त्रिवेदी, (1985) 4 एस. सी. सी. 628] में किया गया है और इसके पैरा 10 में न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की हैः(एस. सी. सी. पीपी. 635-36)

“10. यह सच है कि हाल तक संविधान में राजनीतिक दलों के अस्तित्व का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं था।लेकिन उनका अस्तित्व सरकार के लोकतांत्रिक रूप की प्रकृति में निहित है जो

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

हमारे देश ने इसे अपनाया है।एक प्रतीक का उपयोग**,** चाहे वह गधा हो या हाथी**,** एक समान राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रम के साथ लोगों के बीच एक एकीकृत प्रभाव को जन्म देता है और अंततः वेस्टमिंस्टर प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना में मदद करता है जिसे हम

निचले सदन का गठन करने वाले लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडल के साथ अपनाया गया है।यदि सरकार की वर्तमान प्रणाली सफल होनी चाहिए और राजनीतिक दलों को विभाजित करने वाली खाई इतनी गहरी होनी चाहिए कि प्रशासन में परिवर्तन वास्तव में एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत एक क्रांति होगी तो राजनीतिक दलों को वहां होना होगा।

इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक विरोधाभास है कि भले ही देश अपनी एकता और निरंतरता के सांस्थिक अर्थ में किसी और के पक्ष में नहीं है, लेकिन इसकी राजनीतिक प्रणाली के काम करने वाले हिस्से दल के आधार पर इस तरह से संगठित हैं-दूसरे शब्दों में, "व्यवस्थित मतभेदों और अनसुलझे संघर्षों पर"।यही हमारी प्रणाली का सार है और यह बहुमत द्वारा सरकार की स्थापना की सुविधा प्रदान करता है।यद्यपि हाल तक संविधान में राजनीतिक दलों के अस्तित्व का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन संविधान (बावनवा संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा इसमें किए गए संशोधनों से अब संविधान द्वारा राजनीतिक दलों की स्पष्ट मान्यता है।संविधान की दसवीं अनुसूची, जिसे उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, राजनीतिक दलों के अस्तित्व को स्वीकार करती है और उन परिस्थितियों को निर्धारित करती है जब संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने राजनीतिक दल से अलग हुआ माना जाएगा और इस प्रकार संबंधित सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।इसलिए यह कहना मुश्किल है कि प्रतीक आदेश द्वारा राजनीतिक दलों की मान्यता, पंजीकरण आदि का संदर्भ अनधिकृत है और हमारे देश द्वारा अपनाई गई राजनीतिक प्रणाली के खिलाफ है।"

(जोर दिया गया) "(बोल्डिंग के माध्यम से हमारे द्वारा दिया गया जोर) 44।उपरोक्त कारणों से, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन, चुनाव विभाग, केंद्र शासित प्रदेश सचिवालय, लद्दाख द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 02.08.2023 के अनुसार शुरू की गई पूरी चुनाव प्रक्रिया, S.O.53 के तहत प्रकाशित No.Secy/Election/2023/290-301 दिनांक 05.08.2023 को अलग कर दिया गया है।5 वीं लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के गठन के लिए चुनाव के लिए आज से सात दिनों के भीतर एक नई अधिसूचना जारी की जाएगी।

लद्दाख का संघ क्षेत्र बनाम जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन [अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जे.]

कारगिल।आर 1 को प्रस्तावित उम्मीदवारों के लिए हल प्रतीक के विशेष आवंटन का हकदार घोषित किया गया है।

45. तदनुसार, यह अपील उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं के अभिलेख कल्याण कोष में जमा किए जाने वाले रुपये (एक लाख रुपये) की लागत के साथ खारिज कर दी जाती है।ऐसा ही दो सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए और उसके बाद एक सप्ताह के भीतर इस न्यायालय की रजिस्ट्री के साथ इसके प्रमाण की प्राप्ति की जानी चाहिए।आई. ए. 170883/2023,170885/2023 और 174512/2023 को औपचारिक रूप से अनुमत माना जाए।46. दो और परिणाम सामने आएः

(क) श्रीनगर में उच्च न्यायालय में लंबित 2023 की रिट याचिका (सिविल) No.1933 का भी उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाता है।

(ख) 2023 का सी. सी. पी. (एस) No.340, जो कि विद्वान एकल न्यायाधीश के सामने 08.09.2023 पर सूचीबद्ध है, जीवित रहता है।वर्तमान निर्णय पर विचार करते हुए कानून के अनुसार शीघ्रता से कार्रवाई की जाए।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

याचिका खारिज की जाती है।

दिव्या पांडे